2020 का विधेयक संख्यांक 116

[दि टेक्सैशन एंड अदर लॉज (रिलेक्सैशन एंड अमेंडमेंट ऑफ सरटेन प्रोविजन्स) बिल, 2020 का हिन्दी अनुवाद]

कराधान और अन्य विधि (कतिपय उपबंधों का शिथिलीकरण और संशोधन) विधेयक, 2020

कतिपय अधिनियमों के उपबंधों को शिथिल करने और उनके संशोधन का उपबंध करने के लिए और उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के इकत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

5 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम कराधान और अन्य विधि (कतिपय उपबंधों का शिथिलीकरण और संशोधन) अधिनियम, 2020 है ।

(2) यह अन्यथा उपबंधित के सिवाय, 31 मार्च, 2020 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

परिभाषाएं ।

2. (1) इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "विनिर्दिष्ट अधिनियम" से—

(i) धन-कर अधिनियम, 1957 ; 1957 का 27

(ii) आय-कर अधिनियम, 1961 ; 1961 का 43

(iii) बेनामी संपत्ति संव्यवहार प्रतिषेध अधिनियम, 1988 ; 1988 का 4

(iv) वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 का अध्याय 7 ; 2004 का 22

(v) वित्त अधिनियम, 2013 का अध्याय 7 ; 2013 का 17

(vi) कालाधन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 ; 2015 का 22

(vii) वित्त अधिनियम, 2016 का अध्याय 8 ; या 2016 का 28

(viii) प्रत्यक्ष-कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020, 2020 का 3

अभिप्रेत है ;

(ख) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है ।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किन्तु, यथास्थिति, विनिर्दिष्ट अधिनियम, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 या वित्त अधिनियम, 1994 में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो क्रमशः उस अधिनियम में उनके हैं । 1944 का 1, 1962 का 52, 1975 का 51, 1994 का 32

अध्याय 2

विनिर्दिष्ट अधिनियम के कतिपय उपबंधों का शिथिलीकरण

विनिर्दिष्ट अधिनियम के कतिपय उपबंधों का शिथिलीकरण।

3. (1) जहां विनिर्दिष्ट अधिनियम में कोई ऐसी समय-सीमा विनिर्दिष्ट या उसके अधीन विहित या अधिसूचित की गई है, जो 20 मार्च, 2020 से 29 जून, 2020 तक की या 31 दिसंबर, 2020 के पश्चात् ऐसी किसी अन्य तारीख तक की, जो केंद्रीय सरकार ऐसी किसी कार्रवाई को पूरा करने या उसके अनुपालन के लिए, इस निमित्त, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, अवधि के दौरान आती है, जैसे—

(क) विनिर्दिष्ट अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी प्राधिकरण, आयोग या अधिकरण द्वारा, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, किसी कार्यवाही को पूरा करना या कोई आदेश पारित करना या कोई नोटिस, सूचना, अधिसूचना, मंजूरी या अनुमोदन जारी करना या ऐसी कोई अन्य कार्रवाई करना, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो ; या

(ख) विनिर्दिष्ट अधिनियम के उपबंधों के अधीन कोई अपील, उत्तर या आवेदन फाइल करना या कोई रिपोर्ट, दस्तावेज, विवरणी, कथन या ऐसा कोई अन्य अभिलेख, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, प्रस्तुत करना ; या

(ग) उस दशा में, जहां विनिर्दिष्ट अधिनियम आय-कर अधिनियम, 1961 है,— 1961 का 43

(i) (I) धारा 54 से धारा 54छख में या अध्याय 6क के "ख- कतिपय संदायों की बाबत कटौतियां" शीर्षक के अधीन किन्हीं उपबंधों के अधीन ; या

(II) ऐसी शर्तों को, जो केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, पूरा करने के अधीन रहते हुए, उस अधिनियम के ऐसे अन्य उपबंधों में, अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन किसी कटौती, छूट या मोक का दावा करने के प्रयोजनों के लिए निवेश, निक्षेप, संदाय, अर्जन, क्रय, संन्निर्माण या कोई ऐसी अन्य कार्रवाई, चाहे वह किसी नाम से ज्ञात हो, करना ; या

2005 का 28

(ii) ऐसी दशा में, जहां विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 के उपबंधों के अनुसार जारी किए जाने के लिए अपेक्षित अनुमोदन पत्र, 31 मार्च, 2020 को या इससे पूर्व जारी किया गया है, वहां उस अधिनियम की धारा 10कक में निर्दिष्ट वस्तुओं या चीजों का विनिर्माण या उत्पादन आरंभ करना या कोई सेवा प्रदान करना,

और जहां ऐसी कार्रवाई को ऐसे समय के भीतर पूरा नहीं किया गया है या उसका अनुपालन नहीं किया गया है, तब ऐसी कार्रवाई को पूरा करने या उसके अनुपालन के लिए समय-सीमा, विनिर्दिष्ट अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, 31 मार्च, 2021 तक या 31 मार्च, 2021 के पश्चात् ऐसी अन्य तारीख तक, जो केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, विस्तारित हो जाएगी :

परंतु केंद्रीय सरकार, भिन्न-भिन्न कार्रवाइयों को पूरा करने या उनके अनुपालन के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें विनिर्दिष्ट कर सकेगी :

परंतु यह और कि ऐसी कार्रवाई के अंतर्गत उपधारा (2) में यथा निर्दिष्ट किसी रकम का संदाय सम्मिलित नहीं है :

1961 का 43

परंतु यह भी कि जहां विनिर्दिष्ट अधिनियम, आय-कर अधिनियम, 1961 है और अनुपालन,--

(i) उसकी धारा 139 के अधीन,—

(क) 1 अप्रैल, 2019 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए विवरणी देने के संबंध में है, वहां इस उपधारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे, मानो "31 मार्च, 2021" अंकों और शब्द के स्थान पर, "30 सितंबर, 2020" अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए गए हों ;

(ख) 1 अप्रैल, 2020 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए विवरणी देने के संबंध में है, वहां इस उपधारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे, मानो "31 मार्च, 2021" अंकों और शब्द के स्थान पर, "30 नवंबर, 2020" अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए गए हों ;

(ii) यथास्थिति, फरवरी या मार्च, 2020 मास के लिए या 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए, उस अधिनियम की धारा 200 की उपधारा (2क) के अधीन स्रोत पर कर की कटौती का विवरण या उसकी धारा 206ग की उपधारा (3क) के अधीन स्रोत पर कर के संग्रहण का विवरण परिदत्त करने के संबंध में है, वहां इस उपधारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे, मानो "31 मार्च, 2021" अंकों और शब्द के स्थान पर, "15 जुलाई, 2020" अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए गए हों ;

(iii) यथास्थिति, फरवरी या मार्च, 2020 मास के लिए या 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए, उस अधिनियम की धारा 200 की उपधारा (3) के अधीन स्रोत पर कर की कटौती का विवरण या उसकी धारा 206ग की उपधारा (3) के परंतुक के अधीन स्रोत पर कर के संग्रहण का विवरण परिदत्त करने के संबंध में है, वहां इस उपधारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे, मानो "31 मार्च, 2021" अंकों और शब्द के स्थान पर, "31 जुलाई, 2020" अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए गए हों ;

(iv) 1 अप्रैल, 2019 को आरंभ होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए, उस अधिनियम की धारा 192 के अधीन कर की कटौती या संदाय के संबंध में उसकी धारा 203 के अधीन प्रमाणपत्र देने के संबंध में है, वहां इस उपधारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे, मानो "31 मार्च, 2021" अंकों और शब्द के स्थान पर, "15 अगस्त, 2020" अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए गए हों ;

(v) खंड (ग) के उपखंड (i) की मद (I) में निर्दिष्ट उस अधिनियम की धारा 54 से धारा 54छख, या उक्त खंड के उपखंड (ii) के संबंध में है, वहां इस उपधारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे, मानो,—

(क) पूरा करने या अनुपालन हेतु समय सीमा के लिए, "31 दिसंबर, 2020" अंकों और शब्द के स्थान पर, "29 सितंबर, 2020" अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए गए हों ; और

(ख) ऐसे पूरा करने या अनुपालन करने हेतु, "31 मार्च, 2021" अंकों और शब्द के स्थान पर, "30 सितंबर, 2020" अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए गए हों ;

(vi) खंड (ग) के उपखंड (i) की मद (I) में निर्दिष्ट उस अधिनियम की अध्याय 6क के "ख-कतिपय संदायों की बाबत कटौतियां" शीर्षक के अधीन किन्हीं उपबंधों के संबंध में है, वहां इस उपधारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे, मानो,--

(क) पूरा करने या अनुपालन हेतु समय सीमा के लिए, "31 दिसंबर, 2020" अंकों और शब्द के स्थान पर, "30 जुलाई, 2020" अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए गए हों ; और

(ख) ऐसे पूरा करने या अनुपालन करने हेतु, "31 मार्च, 2021" अंकों और शब्द के स्थान पर, "31 जुलाई, 2020" अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए गए हों ;

(vii) 1 अप्रैल, 2020 को आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए, उसके किसी उपबंध के अधीन संपरीक्षा रिपोर्ट देने के संबंध में है, वहां इस उपधारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे, मानो "31 मार्च, 2021" अंकों और शब्द के स्थान पर, "31 अक्तूबर, 2020" अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए गए हों ;

परंतु यह भी कि तीसरे परंतुक के खंड (i) के उपखंड (ख) में यथा निर्दिष्ट तारीख का विस्तार, आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 234क के स्पष्टीकरण को उन मामलों में लागू नहीं होगा, जहां कुल आय पर कर की ऐसी रकम, जो उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (i) से खंड (vi) में यथा विनिर्दिष्ट रकम द्वारा कम कर दी गई है, एक लाख

1961 का 43

रुपए से अधिक है :

परंतु यह और भी कि चौथे परंतुक के प्रयोजनों के लिए, आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 207 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट भारत में निवासी में निवासी किसी व्यष्टि की दशा में, उस अधिनियम में उपबंधित देय तारीख (विस्तारित किए जाने से पूर्व) के भीतर उस अधिनियम की धारा 140क के अधीन उसके द्वारा संदत्त कर को अग्रिम कर समझा जाएगा :

1961 का 43

परंतु यह भी कि जहां विनिर्दिष्ट अधिनियम प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 है, इस उपधारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे, मानों,—

1961 का 43

(क) कार्रवाई को पूरा करने या उसके अनुपालन हेतु समय सीमा के लिए, "31 दिसंबर, 2020" अंकों और शब्द के स्थान पर, "30 दिसंबर, 2020" अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए गए हों ; और

(ख) ऐसे पूरा किए जाने या अनुपालन करने के लिए, "31 मार्च, 2021" अंकों और शब्द के स्थान पर, "31 दिसंबर, 2020" अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए गए हों ;

(2) जहां विनिर्दिष्ट अधिनियम में, कर या उद्ग्रहण के मद्दे, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, किसी रकम का संदाय करने के लिए कोई ऐसी नियत तारीख विनिर्दिष्ट या विहित या अधिसूचित की गई है, जो 20 मार्च, 2020 से 29 जून, 2020 या 29 जून, 2020 के पश्चात् किसी ऐसी तारीख तक की अवधि के दौरान आती है, जो केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे और यदि ऐसी रकम का संदाय उस तारीख तक नहीं किया गया है, किन्तु 30 जून, 2020 को या 30 जून, 2020 के पश्चात् ऐसी अन्य तारीख को या उससे पूर्व, जो केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, किया गया है तब विनिर्दिष्ट अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) ऐसी रकम की बाबत विलंब की अवधि के लिए संदेय ब्याज की दर, यदि कोई है, प्रत्येक मास या उसके किसी भाग के लिए तीन-चौथाई प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ;

(ख) ऐसी रकम की बाबत विलंब की अवधि के लिए कोई शास्ति उद्गृहीत नहीं की जाएगी और किसी अभियोजन की स्वीकृति नहीं दी जाएगी ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए "विलंब की अवधि" से नियत तारीख और उस तारीख के बीच, जिसको रकम का संदाय किया गया है, की अवधि अभिप्रेत है ।

अध्याय 3

आय-कर अधिनियम, 1961 का संशोधन

1961 अधिनियम सं. 4 का संशोधन ।

1961 का 43

4. आय-कर अधिनियम, 1961 में,—

(I) धारा 6 में, 1 अप्रैल, 2021 से,—

(क) खंड (1) के स्पष्टीकरण 1 के खंड (ख) में, "भारतीय मूल के ऐसे नागरिक या व्यक्ति की दशा में" शब्दों के स्थान पर, "ऐसे व्यक्ति की दशा में" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (1क) में निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"स्पष्टीकरण--शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि यह खंड किसी ऐसे व्यष्टि की दशा में लागू नहीं होगा, जिसे खंड (1) के अधीन पूर्व वर्ष में भारत में निवासी कहा गया है ।";

(ग) खंड (6) के स्पष्टीकरण 1 के अंत में, "और जिसे भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत नहीं समझा जाता है" शब्द जोड़े जाएंगे ;

(II) धारा 10 में,---

(क) 1 अप्रैल, 2021 से, खंड (4घ) में,---

(i) "ऐसे संव्यवहार के लिए प्रतिफल को संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में, किसी अनिवासी द्वारा धारित यूनिटों के संबंध में व्युत्पन्न या उद्भूत या प्राप्त ऐसी आय की सीमा तक संदत्त किया गया है या संदेय है" शब्दों के स्थान पर, "ऐसे संव्यवहार के लिए प्रतिफल को या किसी अनिवासी द्वारा (जो भारत में किसी अनिवासी का स्थायी स्थापन नहीं है) जारी प्रतिभूतियों के (भारत में निवासी कंपनी में के शेयरों से भिन्न) अंतरण के परिणामस्वरूप या उसके द्वारा जारी प्रतिभूति से कोई आय या जहां ऐसी आय भारत में अन्यथा व्युत्पन्न या उद्भूत नहीं हुई है या प्रतिभूतिकरण न्यास से कोई आय, जो "कारबार या वृत्ति से लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य है, उस सीमा तक ऐसी आय या व्युत्पन्न या उद्भूत होती है या प्राप्त होती है, विहित रीति में संगणित (जो भारत में किसी अनिवासी का स्थायी स्थापन नहीं है) अनिवासी द्वारा धारित यूनिटों से मानी जा सकती है, संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में, किसी अनिवासी द्वारा धारित यूनिटों के संबंध में व्युत्पन्न या उद्भूत या प्राप्त ऐसी आय की सीमा तक संदत्त किया गया है" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) स्पष्टीकरण के खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

'(खक) "स्थायी स्थापन" का वही अर्थ होगा, जो उसका धारा 92च के खंड (iiiक) में है ;

(खख) "प्रतिभूतियों" का वही अर्थ होगा, जो उसका प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (ज) में है और इसके अंतर्गत ऐसी अन्य प्रतिभूतियां या लिखतें भी हैं, जिन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त राजपत्र में अधिसूचित किया जाए ; 1956 का 42

(खग) "प्रतिभूतिकरण न्यास" का वही अर्थ होगा, जो उसका धारा 115नगक के नीचे स्पष्टीकरण के खंड (घ) में है ;';

(ख) खंड (23ग) में,—

(i) उपखंड (i) में, "कोष" शब्द के पश्चात्, "या आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष (पीएम केयर्स फंड)"

शब्द और कोष्ठक अंत:स्थापित किए जाएंगे और 1 अप्रैल, 2020 से अंत:स्थापित किए गए समझे जाएंगे ;

(ii) पहले और दूसरे परंतुक के स्थान पर,--

(अ) 1 जून, 2020 से निम्नलिखित परंतुक रखे जाएंगे और रखे गए समझे जाएंगे, अर्थात् :—

"परंतु उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (viक) में निर्दिष्ट निधि या न्यास या संस्था या कोई विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या कोई अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्थाविहित प्ररूप और रीति में विहित प्राधिकारी को उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड(vi) या उपखंड (viक) के अधीन छूट अनुदत्त करने या उसे जारी रखने के लिए आवेदन करेगा :

परंतु यह और कि विहित प्राधिकारी उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (viक) के अधीन किसी निधि या न्यास या संस्था या कोई विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या कोई अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था का अनुमोदन करने से पूर्व ऐसे दस्तावेजों (जिसके अंतर्गत वार्षिक संपरीक्षित लेखे हैं) या सूचना की, यथास्थिति, ऐसी निधि या न्यास या संस्था या कोई विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या कोई अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था से मांग कर सकेगा जैसा कि वह, यथास्थिति, ऐसी निधि या न्यास या संस्था या कोई विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या कोई अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था से उसके कार्यकलापों की वास्तविकता के संबंध में स्वयं का समाधान करने के लिए और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि की अपेक्षाओं का, यथास्थिति, ऐसी निधि या न्यास या संस्था या कोई विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या कोई अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था से अनुपालन करने की अपेक्षाओं के लिए आवश्यक समझे, जो उसके उद्देश्यों को हासिल करने के प्रयोजन के लिए तात्विक हो और विहित प्राधिकारी ऐसी पूछताछ कर सकेगा, जो इस निमित्त वह ठीक समझे :";

(आ) 1 अप्रैल, 2021 से निम्नलिखित परंतुक रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"परंतु उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (viक) में निर्दिष्ट निधि या न्यास या संस्था या कोई विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या कोई अस्पताल या

अन्य चिकित्सा संस्था को संबंधित उपखंडों के अधीन छूट तब तक उपलब्ध नहीं होगी जब तक निधि या न्यास या संस्था या कोई विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या कोई अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्थाविहित प्ररूप और रीति में प्रधान आयुक्त या आयुक्त को अनुमोदन अनुदत्त करने के लिए आवेदन नहीं करते हैं, —

(i) जहां निधि या न्यास या संस्था या कोई विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या कोई अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था को दूसरे परंतुक के अधीन [जैसा वह उसके कराधान और अन्य विधियां (कतिपय उपबंधों का शिथिलीकरण और संशोधन) अधिनियम, 2020 द्वारा संशोधन से पूर्व था] 1 अप्रैल, 2021 से तीन मास के भीतर आवेदन नहीं कर देता है ।

(ii) जहां ऐसी निधि या न्यास या संस्था या कोई विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या कोई अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था अनुमोदित है और ऐसे अनुमोदन की अवधि का अवसान होने को है, उक्त अवधि के अवसान के कम से कम छह मास पूर्व ;

(iii) जहां ऐसी निधि या न्यास या संस्था या कोई विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या कोई अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था को अनंतिम रूप से अनुमोदन प्रदान किया गया है, ऐसे अनंतिम अनुमोदन की अवधि के अवसान से कम से कम छह मास पूर्व या उसके कार्यकलापों के प्रारंभ होने के छह मास के भीतर, इनमें जो भी पूर्वतर हो ;

(iv) किसी अन्य दशा में, उस निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्व वर्ष के प्रारंभ होने से कम से कम एक मास पूर्व जिसमें उक्त अनुमोदन की ईप्सा की गई है,

और उक्त निधि या न्यास या संस्था या कोई विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या कोई अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था दूसरे परंतुक के अधीन अनुमोदित है :

परंतु यह और कि प्रधान आयुक्त या आयुक्त पहले परंतुक के अधीन किए गए किसी आवेदन पर,—

(i) जहां आवेदन उक्त परन्तुक के खंड (i) के अधीन किया गया है वहां उसे पांच वर्ष की अवधि का अनुमोदन देते हुए लिखित आदेश पारित करेगा;

(ii) जहां आवेदन उक्त परन्तुक के खंड (ii) या खंड (iii) के अधीन किया गया है, वहां वह, –

(क) निम्नलिखित के बारे में स्वयं का समाधान करने के लिए उससे ऐसे दस्तावेज या जानकारी की मांग करेगा या ऐसी जांच करेगा जो वह आवश्यक समझे–

(अ) ऐसी निधि या न्यास या संस्था अथवा विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या चिकित्सालय अथवा अन्य चिकित्सा संस्था के क्रियाकलापों की वास्तविकता; और

(आ) इसके द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि की ऐसी अपेक्षाओं का अनुपालन जो इसके उद्देश्यों को प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए महत्वपूर्ण हों; और

(ख) उपखण्ड (क) की मद (अ) के अधीन क्रियाकलापों की वास्तविकता की उद्देश्यों तथा मद (आ) के अधीन अपेक्षाओं के अनुपालन के बारे में स्वयं का समाधान करने के पश्चात्,–

(अ) पांच वर्ष की अवधि के लिए इसका अनुमोदन अनुदत्त करते हुए लिखित में आदेश पारित करेगा ;

(आ) यदि उसका समाधान नही होता है तो ऐसा आवेदन रद्द करते हुए लिखित में आदेश पारित करेगा तथा इसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए जाने के पश्चात् इसका अनुमोदन भी निरस्त करेगा ;

(iii) जहां उक्त परन्तुक के खण्ड (iv) के अधीन आवेदन किया जाता है तो उस निर्धारण वर्ष से जिससे रजिस्ट्रीकरण चाहा गया है तीन वर्ष की अवधि के लिये अनंतिम रूप से इसका अनुमोदन अनुदत्त करते हुए लिखित में एक आदेश पारित करेगा तथा ऐसी आदेश की एक प्रति निधि या न्यास या संस्था अथवा विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या चिकित्सालय अथवा अन्य चिकित्सा संस्था को भेजेगा;"

(iii) आठवें और नौवें परन्तुक के स्थान पर,—

(अ) 1 जून, 2020 से निम्नलिखित परन्तुक रखे जाएंगे और रखे गए समझे जाएंगे, अर्थात:—

"परंतु यह भी कि केन्द्रीय सरकार द्वारा उस तारीख के पूर्व जिसको कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2006 राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करता है, उपखण्ड (iv) या उपखण्ड (v) के अधीन जारी की गई कोई अधिसूचना, किसी एक समय पर, तीन निर्धारण वर्षों से अनधिक ऐसे निर्धारण वर्ष या वर्षों के लिए (जिसके अंतर्गत उस तारीख जिसको ऐसी अधिसूचना जारी की जाती है, के पूर्व आरंभ होने वाला/वाले निर्धारण वर्ष भी है/हैं) प्रभावी होगी, जैसा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए:

परन्तु यह भी कि जहां पहले परन्तुक के अधीन कोई आवेदन उस तारीख को या उसके पश्चात् जिसको कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2006 राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करता है, किया जाता है तो उपखण्ड (iv) या उपखण्ड (v) के अधीन प्रत्येक अधिसूचना जारी की जाएगी या उपखण्ड (iv) या उपखण्ड (v) या उपखण्ड (vi) अथवा उपखण्ड (viक) के अधीन अनुमोदन अनुदत्त किया जाएगा अथवा आवेदन को निरस्त करने वाला आदेश उस मास के अंत से जिसमें ऐसा आवेदन प्राप्त हुआ था, बारह मास की अवधि के भीतर पारित किया जाएगा:";

(आ) 1 अप्रैल, 2021 से निम्नलिखित परन्तुक रखे जाएंगे, अर्थात्:—

"परन्तु यह भी कि दूसरे परन्तुक के अधीन अनुदत्त कोई अनुमोदन निधि या न्यास या संस्था अथवा विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या चिकित्सालय अथवा अन्य चिकित्सा संस्था की आय के संबंध में लागू होगा,—

(i) जहां आवेदन, उस निर्धारण वर्ष से जिससे इसे पूर्व मे अनुमोदन अनुदत्त किया गया था, पहले परन्तुक के खण्ड (i) के अधीन किया जाता है;

(ii) जहां आवेदन, पहले निर्धारण वर्षों से जिनके लिए इसे पूर्व मे अनंतिम अनुमोदन किया गया था, पहले परन्तुक के खण्ड (iii) के अधीन किया जाता है;

(iii) किसी अन्य मामले में उस वित्तीय वर्ष जिसमें ऐसा आवेदन किया जाता है, के तुरंत

पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्ष से :

परन्तु यह भी कि दूसरे परन्तुक के खण्ड (i), खण्ड (ii) के उपखण्ड (ख) और खण्ड (iii) के अधीन आदेश ऐसे प्ररूप और रीति में जो विहित किया जाए, उस मास के अंत से संगणित जिसमें आवेदन प्राप्त हुआ था, क्रमशः तीन मास, छह मास और एक मास की अवधि के अवसान के पूर्व पारित किया जाएगा:";

(iv) बारहवे परन्तुक में "धारा 12कक" शब्द, अंक और अक्षर के स्थान पर, "धारा 12कक या धारा 12कख" शब्द, अंक और अक्षर 1 अप्रैल, 2021 से रखे जाएंगे;

(v) पंद्रहवे परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक 1 जून, 2020 से अंत:स्थापित किया जाएगा और अंत:स्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात:—

"परन्तु यह भी कि पहले परन्तुक में निर्दिष्ट निधि या न्यास या संस्था अथवा विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या चिकित्सालय अथवा अन्य चिकित्सा संस्था यदि छूट अनुदत्त करने या उसे निरंतर करने के प्रयोजनों के लिए 1 जून, 2006 को या उसके पश्चात् आवेदन करती है तो ऐसा आवेदन उस सुसंगत निर्धारण वर्ष जिससे छूट चाही गई है, 30 सितंबर को या उसके पश्चात् किया जाएगा :";

(vi) 1 अप्रैल, 2021 से सोलहवे परन्तुक का लोप किया जाएगा;

(vii) अठारहवे परन्तुक के स्थान पर,—

(अ) निम्नलिखित परन्तुक 1 जून, 2020 से अंत:स्थापित किया जाएगा और अंत:स्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात:-

"परन्तु यह भी कि सभी लंबित आवेदन जिन पर 1 जून, 2007 के पूर्व उपखण्ड (iv) या उपखण्ड (v) के अधीन कोई अधिसूचना जारी नही की गई है, उस दिन को विहित प्राधिकारी को अंतरित हो जाएंगे और विहित प्राधिकारी उन आवेदनों पर उन उपखण्डों के अधीन उस प्रक्रम से जिस पर वे उस दिन थे, कार्यवाही कर सकेगा:";

(आ) 1 अप्रैल, 2021 से निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह भी कि प्रधान आयुक्त या आयुक्त के समक्ष लंबित पहले परन्तुक [जैसा वह कराधान और अन्य विधि (कतिपय उपबंधों का शिथिलीकरण और संशोधन) अधिनियम, 2020 द्वारा इसके संशोधन के पूर्व था] के अधीन किए गए सभी आवेदन, जिन पर 1 अप्रैल, 2021 के पूर्व कोई आदेश पारित नही किया गया है, उस तारीख को

पहले परन्तुक के खण्ड (iv) के अधीन किए गए समझे जाएंगे:";

(ग) खंड (23चखख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड, 1 अप्रैल, 2021 से अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(23चखग) किसी विनिर्दिष्ट निधि से या किसी विनिर्दिष्ट निधि में यूनिटों के अंतरण पर, किसी यूनिटधारक द्वारा प्राप्त की गई या उसे प्रोद्भूत या उद्भूत कोई आय ।

स्पष्टीकरण–इस खंड के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "विनिर्दिष्ट निधि" पद का वही अर्थ होगा, जो उसका खंड (4घ) के स्पष्टीकरण में है ;

(ख) "यूनिट" पद से निधि में किसी विनिधानकर्ता का फायदाप्रद हित अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत शेयर या भागीदारी हित भी है ;';

(घ) खंड (23चङ) के स्पष्टीकरण में, 1 अप्रैल, 2021 से,—

(i) खंड (क) के उपखंड (ii) में, "संयुक्त अरब अमीरात" शब्दों के स्थान पर, "आबू धाबू" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (ख) के उपखंड (vi) में, "इस प्रयोजन के लिए" शब्दों के पश्चात् "और ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने के लिए" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(iii) खंड (ग) के उपखंड (iv) में, "इस प्रयोजन के लिए" शब्दों के स्थान पर, "इस प्रयोजन के लिए और ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने के लिए" शब्द रखे जाएंगे ;

(III) धारा 11 में,—

(क) उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 2 में, "धारा 12कक" शब्द, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, ", यथास्थिति, धारा 12कक या धारा 12कख" शब्द, अंक और अक्षर 1 अप्रैल, 2021 से रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (7) में,—

(i) "धारा 12कक या धारा 12कख के अधीन" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, "धारा 12कक की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन" शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर 1 जून, 2020 से रखे जाएंगे;

(ii) इस प्रकार प्रतिस्थापित "धारा 12कक की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन" शब्दों, अंकों, कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर, "धारा 12कक या धारा 12कख के अधीन" शब्द, अंक और अक्षर 1 अप्रैल, 2021 से रखे जाएंगे;

(iii) दूसरे परन्तुक में, 1 जून, 2020 से "धारा 12कख के अधीन" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, "धारा 12कक के अधीन" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे और रखे गए समझे जाएंगे ;

(ग) दूसरे परन्तुक में, "धारा 12कक के अधीन" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, "या धारा 12कख के" शब्द, अंक और अक्षर 1 अप्रैल, 2021 से अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(IV) धारा 12क में,—

(क) उपधारा (1) में,—

(i) खण्ड (कग) का 1 जून, 2020 से लोप किया जाएगा और लोप किया गया समझा जाएगा;

(ii) खण्ड (कख) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड 1 अप्रैल, 2021 से अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात:—

"(कग) खण्ड (क) से खण्ड (कख) में किसी बात के होते हुए भी, आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति ने न्यास या संस्था के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रधान आयुक्त या आयुक्त को विहित प्ररूप और रीति में आवेदन किया है,—

(i) जहां न्यास या संस्था उस तारीख से जिसको यह खण्ड प्रवृत्त हुआ है, 1 अप्रैल, 2021 से तीन मास के भीतर धारा 12क के अधीन [जैसा वह वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1996 द्वारा इसके संशोधन के पूर्व था] या धारा 12कक के अधीन [जैसा वह कराधान और अन्य विधि (कतिपय उपबंधों का शिथिलीकरण और संशोधन) अधिनियम, 2020 द्वारा इसके संशोधन के पूर्व था] रजिस्ट्रीकृत किया जाता है;

1996 का 33

(ii) जहां न्यास या संस्था धारा 12कख के अधीन रजिस्ट्रीकृत है और उक्त रजिस्ट्रीकरण की अवधि समाप्त होने वाली है वहां उक्त अवधि की समाति से कम से छः मास पूर्व ;

(iii) जहां न्यास या संस्था में धारा 12कख के अधीन अनंतिम रूप से रजिस्ट्रीकृत किया गया है वहीं अनंतिम रूप से रजिस्ट्रीकरण की अवधि की समाप्ति के कम से कम छः मास पूर्व या उनके क्रियाकलापों के प्रारंभ के छः मास के भीतर, इनमें जो भी पूर्वतर हो ;

(iv) जहां न्यास या संस्था का रजिस्ट्रीकरण, धारा 11 की उपधारा (7) के पहले परंतुक के कारण अप्रवर्तनीय हो गई है वहीं उस निर्धारण वर्ष प्रारंभ के प्रारंभ से जिससे उक्त रजिस्ट्रीकरण को प्रवर्तनीय बनाने की ईप्सा की गई है कम से कम छह मास पूर्व ;

(v) जहां न्यास या संस्था ने ऐसे उद्देश्यों को, जो रजिस्ट्रीकरण की शर्तों के अनुरूप नहीं हैं, अंगीकृत किया है या उनका उपांतरण किया है वहीं उक्त अंगीकार या उपांतरण

की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर ;

(vi) किसी अन्य मामले में ऐसे निर्धारण वर्ष के, जिसमें उक्त रजिस्ट्रीकरण की ईप्सा की गई है, सुसंगत पूर्व वर्ष के प्रारंभ से कम से कम एक मास पूर्व ;

और ऐसा न्यास या संस्था धारा 12कख के अधीन रजिस्ट्रीकृत है ;

(ख) उपधारा (2) में,—

(अ) 1 जून, 2020 से,—

(i) पहले परंतुक का लोप किया जाएगा और लोप किया गया समझा जाएगा ;

(ii) दूसरे परंतुक में "परंतु यह और कि जहां रजिस्ट्रीकरण धारा 12कक या धारा 12कख के अधीन न्यास या संस्था को मंजूर किया गया है" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर "परंतु जहां रजिस्ट्रीकरण धारा 12कक के अधीन न्यास या संस्था को मंजूर किया गया है" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे और रखे गए समझे जाएंगे ;

(iii) तीसरे परंतुक में "परंतु यह भी कि" शब्दों के स्थान पर "परंतु यह और" शब्द रखे जाएंगे और रखे गए समझे जाएंगे ;

(iv) चौथे परंतुक में, "धारा 12कक या धारा 12कख" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, "धारा 12कक" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे और रखे गए समझे जाएंगे ;

(आ) 1 अप्रैल, 2021 से,—

(i) पहले परंतुक में "परंतु जहां रजिस्ट्रीकरण धारा 12कक के अधीन न्यास या संस्था को मंजूर किया गया है" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु न्यास या संस्था को धारा 11 और धारा 12 के उपबंध, जहां आवेदन,—

(क) उपधारा (1) के खंड (कग) के उपखंड (i) के अधीन किया गया है, वहां उस निर्धारण वर्ष से, जिससे ऐसे न्यास या संस्था को पहले रजिस्ट्रीकरण मंजूर किया गया है, लागू होंगे ;

(ख) उपधारा (1) के खंड (कग) के उपखंड (iii) के अधीन किया गया है वहां ऐसे पहले निर्धारण वर्ष से, जिसके लिए यह अनंतिम रूप से रजिस्ट्रीकृत था, लागू होंगे :

परंतु यह और कि जहां रजिस्ट्रीकरण धारा 12कक या धारा

12कख के अधीन न्यास या संस्था को मंजूर किया गया है" ;

(ii) दूसरे परंतुक में "परंतु यह और कि" शब्दों के स्थान पर "परंतु यह भी कि" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) चौथे परंतुक में इस प्रकार प्रस्थापित "धारा 12कक" शब्द, अंक और अक्षर के स्थान पर "धारा 12कक या धारा 12कख" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(V) धारा 12कक में, —

(क) उपधारा (5) का लोप किया जाएगा और 1 जून, 2020 से लोप किया गया समझा जाएगा ;

(ख) उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा 1 अप्रैल, 2021 से अंतःस्थापित की जाएगा, अर्थात् :—

"(5) इस धारा की कोई बात 1 अप्रैल, 2021 को या उसके पश्चात् लागू नहीं होगी ।"।

(VI) धारा 12कख का लोप किया जाएगा और 1 जून, 2020 से लोप किया गया समझा जाएगा ;

(VII) धारा 12कक के पश्चात् निम्नलिखित धारा 1 अप्रैल, 2021 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

नए सिरे से रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया ।

"12कख. (1) प्रधान आयुक्त या आयुक्त, धारा 12क की उपधारा (1) के खंड (कग) के अधीन किए गए आवेदन के प्राप्त होने पर —

(क) जहां उक्त खंड के उपखंड (i) के अधीन किया गया आवेदन, न्यास या संस्था के रजिस्ट्रीकरण के लिए पांच वर्षों की अवधि के लिए लिखित में कोई आदेश पारित करता है;

(ख) जहां उक्त खंड के उपखंड (ii)या उपखंड (iii) या उपखंड (iv) या उपखंड (v) के अधीन किया गया आवेदन,—

(i) न्यास या संस्था से ऐसे दस्तावेजों या जानकारी के लिए मांग करना या ऐसी जांचों को स्वयं को संतुष्ट होने के लिए आदेश में जैसा वह ठीक समझे करेगा—

(अ) न्यास या संस्था के क्रियाकलापों की मौलिकता; और

(आ) इस उद्देश्य को प्राप्त करने के प्रयोजन से जो सारवान हैं, न्यास या संस्था द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि की ऐसी अपेक्षाओं का अनुपालन;

(ii) मद (अ) के अधीन न्यास और संस्था के उद्देश्यों के बारे में या इसके क्रियाकलापों की मौलिकता और उपखंड (i) के मद (आ) के अधीन अपेक्षाओं का अनुपालन, के बारे में स्वयं का समाधान करने के पश्चात्—

(अ) पांच वर्षों की अवधि के लिए न्यास या संस्था के रजिस्ट्रीकरण के संबंध में कोई लिखित आदेश पारित करेगा; या

(आ) यदि वह इस प्रकार संतुष्ट नहीं होता है, ऐसे आवेदन को लिखित में नामंजूर करने का कोई आदेश पारित करेगा और युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् इसका रजिस्ट्रीकरण भी रद्द कर देगा;

(ग) जहां उक्त खंड के उपखंड (vi) के अधीन कोई आवेदन किया जाता है, निर्धारण वर्ष से तीन वर्ष की अवधि के लिए न्यास या संस्था को अनंतिम रुप से रजिस्ट्रीकरण करने के लिए लिखित में कोई आदेश पारित करेगा, जो रजिस्ट्रीकरण में मांगा गया है,

और ऐसे आदेश की एक प्रति न्यास या संस्था को भेजेगा ।

(2) सभी आवेदन जो प्रधान आयुक्त या आयुक्त के समक्ष लंबित है, इस धारा के प्रवृत्त में आने की तारीख से पूर्व, धारा 12कक की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन कोई आदेश पारित नहीं किया गया है, उस तारीख को धारा 12क की उपधारा (1) के खंड (कग) के उपखंड (vi) के अधीन किया गया कोई आवेदन समझा जाएगा ।

(3) उपधारा (1) के खंड (क), खंड (ख) और खंड (ग) के उपखंड (ii) के अधीन कोई आदेश, ऐसे प्ररुप और रीति में जो विहित किया जाए, पारित किया जाएगा, क्रमश: तीन मास, छह मास और एक मास की अवधि की समाप्ति के पूर्व ऐसे मास की समाप्ति से संगणना की जाएगी, जब ऐसा आवेदन प्राप्त किया गया था ।

(4) जहां न्यास या किसी संस्था का रजिस्ट्रीकरण उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन स्वीकृत किया गया है और तत्पश्चात्, प्रधान आयुक्त या आयुक्त संतुष्ट है, यथास्थिति, ऐसे न्यास और संस्था के क्रियाकलाप मौलिक नहीं है या न्यास या संस्था के उद्देश्य के अनुसार कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है, वह सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् ऐसे न्यास या संस्था का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने के लिए लिखित में आदेश पारित करेगा ।

(5) उपधारा (4) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां न्यास या संस्था का रजिस्ट्रीकरण उपधारा (1) के खंड (क) और खंड (ख) के अधीन स्वीकृत किया गया है, यह अधिसूचित किया जाता है कि—

(क) न्यास या संस्था के क्रियाकलाप ऐसी रीति में कार्यान्वित किए जा रहे हैं कि धारा 11 और धारा 12 के उपबंध, धारा 13 की उपधारा (1) के प्रचालन के कारण ऐसे न्यास या संस्था की या तो संपूर्ण आय या उसका कोई भाग अपवर्जित करने के लिए लागू नहीं होता है; या

(ख) न्यास या संस्था उपधारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (i) के मद (अ) में यथानिर्दिष्ट किसी अन्य विधि की अपेक्षा के अनुसार लागू

नहीं होता है, और आदेश, निदेश या डिक्री, चाहे जिस नाम से कहा जाए, ऐसा अननुपालन किया गया है, न तो विवादग्रस्त है या न ही अंतिमता को प्राप्त किया है,

तब प्रधान आयुक्त या आयुक्त लिखित में आदेश द्वारा युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, ऐसे न्यास या संस्था का रजिस्ट्रीकरण रद्द कर देगा ।"।

(VIII) धारा 13 के स्पष्टीकरण 1 में, "12क" अंकों और अक्षर के पश्चात्, 12कक, 12कख" अंक और अक्षर, 1 अप्रैल, 2021 से अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(IX) धारा 35 में,—

(क) उपधारा (1) में,—

(i) 1 जून, 2020 से, खंड (3) के स्पष्टीकरण में,—

(अ) "खंड (ii) या (iii) के लिए या कंपनी के लिए खंड (iiक)" शब्दों, कोष्ठकों, अंकों और अक्षर के स्थान पर, "खंड (ii) या खंड (iii) के लिए" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे और रखे गए समझे जाएंगे ;

(आ) "खंड (ii) या खंड (iii) या खंड (iiक) में निर्दिष्ट किसी कंपनी के लिए" शब्दों, कोष्ठकों, अंकों और अक्षर के स्थान पर, "खंड (ii) या खंड (iii) के लिए" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे और रखे गए समझे जाएंगे ;

(ii) उपखंड (iii) के स्पष्टीकरण में, 1 अप्रैल, 2021 से,—

(अ) "जिसके खंड (ii) या कंड (iii)" के स्थान पर, "जिसके खंड (ii) या खंड (iii) या जिसके कंपनी के खंड (iiक)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(आ) "जिसके खंड (ii) या खंड (iii)" के स्थान पर "जिसके खंड (ii) या खंड (iii) या जिसके खंड (ii क) के कंपनी" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(iii) खंड (iv) के पश्चात् उद्भूत पांचवां और छठवां परंतुक का लोप किया जाएगा और किया गया ऐसा लोप 1 जून, 2020 से प्रभावी समझा जाएगा ;

(iv) खंड (iv) के पश्चात् उद्भूत चौथा परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक 1 अप्रैल, 2021 से अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह भी कि ऐसी तारीख को, जिसको यह परंतुक प्रवृत हुआ है को या उससे पहले जारी अनुसंधान संगम, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था की बाबत खंड (ii) या खंड (iii) के अधीन अथवा कंपनी की बाबत (iiक) के अधीन प्रत्येक अधिसूचना वापस ली गई समझी जाएगी जब तक कि ऐसा खंड (ii) या

खंड (iii) में निर्दिष्ट अनुसंधान संगम, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था अथवा खंड (iiक) में निर्दिष्ट कंपनी उस तारीख को जिसको यह परंतुक लागू होता है से तीन मास की अवधि के भीतर ऐसे प्ररुप और रीति में जो विहित की जाए विहित आयकर अधिकारी को सूचना नहीं देता हैऐसी सूचना के अध्ययधीन रहते हुए, ऐसी अधिसूचना 1 अप्रैल, 2022 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से शुरु होने वाले क्रमवर्ती पांच निर्धारण वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगा :

परंतु यह भी कि उस तारीख जिसको कराधान और अन्य विधि (कतिपय उपबंधों से छूट और संशोधन) विधेयक, 2020 पर राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, के पश्चात्, खंड (ii) या खंड (iiक) या खंड (iii) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी की गई कोई अधिसूचना किसी एक समय में ऐसे निर्धारण वर्ष या वर्षों के लिए में पांच निर्धारण वर्ष से अनधिक अवधि के लिए जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए प्रवृत्त होगा ";

(ख) उपधारा (1क) का लोप किया जाएगा और 1 जून, 2020 से लोप किया गया समझा जाएगा ;

(ग) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा 1 अप्रैल, 2021 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(1अ) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी खंड (ii) या खंड (iii) में निर्दिष्ट अनुसंधान संगम, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था अथवा उपधारा (1) के खंड (ii क) में निर्दिष्ट कंपनी उक्त उपधारा के खंडों के अधीन तब तक कटौती के लिए हकदार नहीं होगा जब तक कि ऐसा अनुसंधान संगम, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था या कंपनी—

(i) ऐसी अवधि के लिए ऐसा विवरण तैयार करेगा, जो विहित किया जाए और ऐसा विवरण ऐसे प्ररुप में ऐसी रीति में सत्यापित ऐसी विशिष्टयों को उपदर्शित करते हुए और ऐसे समय के भीतर जो विहित की जाए, आय-कर प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त करेगा या परिदत्त करना कारित करेगा :

परंतु ऐसा अनुसंधान संगम, विश्विद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था या कंपनी विहित प्राधिकारी को किसी त्रुटि का सुधार करने के लिए या किसी वर्धन, लोप या इस उपधारा के अधीन परिदत्त विवरण को प्रस्तुत सूचना को ऐसे प्ररुप में अद्यतन करने के लिए और ऐसी रीति में, सत्यापित करने के लिए जो विहित की जाए एक परिशुद्धि विवरण परिदत्त करेगा ।

(ii) आदाता को संदान की रकम को विनिर्दिष्ट करते हुए

ऐसी रीति में, ऐसी विशिष्टियां अंतर्विष्ट करते हुए और राशि की प्राप्ति की तारीख से ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा ।";

(X) धारा 35कग में, 1 नवंबर, 2020 से,—

(i) उपधारा (4) में,—

(क) खंड (i) में, "उस समिति" शब्दों के स्थान पर, "प्रधान मुख्य आय-कर आयुक्त (छूट) या मुख्य आय-कर आयुक्त (छूट)" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (ii) में, "राष्ट्रीय समिति" शब्दों के स्थान पर, "प्रधान मुख्य आय-कर आयुक्त (छूट) या मुख्य आय-कर आयुक्त (छूट)" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(ग) दीर्घ पंक्ति में, "राष्ट्रीय समिति" शब्दों के स्थान पर, "प्रधान मुख्य आय-कर आयुक्त (छूट) या मुख्य आय-कर आयुक्त (छूट)" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(घ) परंतुक में, "राष्ट्रीय समिति" शब्दों के स्थान पर, "प्रधान मुख्य आय-कर आयुक्त (छूट) या मुख्य आय-कर आयुक्त (छूट)" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (5) में,—

(क) खंड (i) में, "राष्ट्रीय समिति" शब्दों के स्थान पर, "प्रधान मुख्य आय-कर आयुक्त (छूट) या मुख्य आय-कर आयुक्त (छूट)" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(ख) परंतुक में, "राष्ट्रीय समिति" शब्दों के स्थान पर, "प्रधान मुख्य आय-कर आयुक्त (छूट) या मुख्य आय-कर आयुक्त (छूट)" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(iii) उपधारा (6) के खंड (ii) में, "राष्ट्रीय समिति" शब्दों के पश्चात्, "प्रधान मुख्य आय-कर आयुक्त (छूट) या मुख्य आय-कर आयुक्त (छूट)" शब्द और कोष्ठक अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(XI) धारा 56 की उपधारा (2) में,—

(क) 1 जून, 2020 से,—

(i) खंड (v) के परंतुक के खंड (छ) में, "धारा 12कक या धारा 12कख" शब्द, अंक और अक्षरों के स्थान पर, "धारा 12कक" शब्द, अंक और अक्षर रखा जाएगा और रखा गया समझा जाएगा ;

(ii) खंड (vi) के परंतुक के खंड (छ) में, "धारा 12कक या धारा 12कख" शब्द, अंक और अक्षरों के स्थान पर, "धारा 12कक" शब्द, अंक और अक्षर रखा जाएगा और रखा गया समझा जाएगा ;

(iii) खंड (vii) के परंतुक के खंड (छ) में, "धारा 12कक या धारा 12कख" शब्द, अंक और अक्षरों के स्थान पर, "धारा 12कक" शब्द,

अंक और अक्षर रखा जाएगा और रखा गया समझा जाएगा ;

(ख) 1 अप्रैल, 2021 से,—

(i) खंड (v) के परंतुक के खंड (छ) में, "धारा 12कक" शब्द, अंक और अक्षरों के स्थान पर, "धारा 12कक और धारा 12कख" शब्द, अंक और अक्षर रखा जाएगा ;

(ii) खंड (vi) के परंतुक के खंड (छ) में, "धारा 12कक" शब्द, अंक और अक्षरों के स्थान पर, "धारा 12कक या धारा 12कख" शब्द, अंक और अक्षर रखा जाएगा ;

(iii) खंड (vii) के दूसरे परंतुक के खंड (छ) में, "धारा 12कक" शब्द, अंक और अक्षरों के स्थान पर, "धारा 12कक या धारा 12कख" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ग) खंड (x) के परंतुक के खंड (vii) में,—

(i) "धारा 12क या धारा 12कक या धारा 12कख" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, "धारा 12क या धारा 12कक" शब्द, अंक और अक्षर रखा जाएगा और 1 जून, 2020 से रखा गया समझा जाएगा ;

(ii) "धारा 12क या धारा 12कक" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, "धारा 12क या धारा 12कक या धारा 12कख" शब्द, अंक और अक्षर 1 अप्रैल, 2021 से रखा जाएगा ।

(XII) धारा 80छ में,—

(क) उपधारा (2) के खंड (क) के उपखंड (iiक) में, "कोष" शब्द के पश्चात्, "या आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष (पीएम केयर्स फंड)" शब्द और कोष्ठक अंत:स्थापित किए जाएंगे और 1 अप्रैल, 2020 से अंत:स्थापित किए गए समझे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (5) में,—

(i) 1 जून, 2020 से,—

(अ) खंड (vi) में, "प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा अनुमोदित" शब्दों के स्थान पर "इस निमित्त बनाए गए नियमों के अनुसार आयुक्त द्वारा अनुमोदित ; और" शब्द रखा जाएगा और रखा गया समझा जाएगा ;

(आ) खंड (viii) और उपखंड (ix) का लोप किया जाएगा और लोप किया गया समझा जाएगा ;

(ii) 1 अप्रैल, 2021 से,—

(अ) खंड (vi) में, "इस निमित्त बनाए गए नियमों के अनुसार आयुक्त द्वारा अनुमोदित" शब्दों के स्थान पर, "प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा अनुमोदित" शब्द रखा जाएगा ;

(आ) उपखंड (viii) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड

अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

(viii) संस्था या निधि ऐसे विवरण, ऐसी अवधि के लिए तैयार करेगी जो विहित की जाए और विहित आयकर प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को ऐसे प्रारूप में प्रदान करेगी या परिदान करना पारित करेगा और ऐसी रीति से सत्यापित करेगी तथा ऐसी विशिष्टियों को ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, उपवर्णित करेगी :

परन्तु यह कि संस्था या निधि उक्त विहित प्राधिकारी को निम्नलिखित का परिदान भी करेगी—(क) किसी गलती को सुधारने के लिए संशोधन विवरण या उस उपधारा के अधीन ऐसे प्ररूप में और ऐसे रीति में सत्यपित, जो विहित किया जाए, परिदत्त विवरण में दी गई जानकारी को जोड़ना, हटाना या अद्यतन करना ; और

(ix) संस्था या निधि दाता को, विशिष्टियों से युक्त ऐसी रीति में और दान की प्राप्ति की तारीख से ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, दान की राशि विनिर्दिष्ट करने वाला एक प्रमाणपत्र देगी ।

परंतु खंड (vi) में निर्दिष्ट संस्था या निधि अनुमोदन प्रदान के लिए प्रधान कमिश्नर या कमिश्नर को विहित प्ररूप और रीति में एक आवेदन करेगी—

(i) जहां ऐसा संस्थान या निधि 1 अप्रैल, 2021 से, तीन मास की अवधि के भीतर खंड (vi) [जैसा कि वह कराधान और अन्य विधि (कतिपय उपबंधों का शिथिलीकरण और संशोधन) अधिनियम, 2020 द्वारा उसका संशोधन किए जाने से पूर्व था] अनुमोदित किया जाता है ;

2020 का 12

(ii) जहां ऐसा संस्थान या निधि अनुमोदित की जाती है और ऐसे अनुमोदन की अवधि, उस अवधि की समाप्ति से कम से कम छह माह पूर्व समाप्त होने वाली है ;

(iii) जहां संस्थान या निधि अनंतिम अनुमोदन अवधि समाप्त होने के कम से कम छह मास पहले या उसके क्रियाकलापों के प्रारंभ होने के छह मास के भीतर, जो भी पहले हो अनंतिम रूप से अनुमोदित की गई है ;

(iv) किन्हीं अन्य मामलें में, निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्व वर्ष के आरंभ से कम से कम एक माह पूर्व, जिससे उक्त अनुमोदन चाहा गया है :

परंतु यह और कि प्रधान आयुक्त या आयुक्त पहले परंतुक के अधीन किए गए किसी आवेदन की प्राप्ति पर—

(i) जहां आवेदन उक्त परंतुक के खंड (i) के अधीन किया जाता है पांच वर्ष की अवधि के लिए उसे अनुमोदन प्रदान करते हुए एक लिखित आदेश पारित करेगा ;

(ii) जहां आवेदन उक्त परंतुक के खंड (ii) या खंड (iii) के अधीन किया जाता है,—

(क) उससे ऐसे दस्तावेज या सूचना मांग सकेगा या और निम्नलिखित के संबंध में स्वयं का समाधान करने के क्रम में ऐसी जांच कर सकेगा जो वह उचित समझे—

(अ) ऐसी संस्था या निधि के क्रियाकलापों की मौलिकता ; और

(आ) खंड (i) से खंड (v) में अधिकथित सभी शर्तों को पूरा करना;

(ख) उक्त खंड (क) की मद (अ) के अधीन क्रियाकलापों की मौलिकता के बारे में उसका समाधान होने और मद (आ) के अधीन सभी शर्तों के पूरा होने के पश्चात्—

(अ) पांच वर्ष की अवधि के लिए उसे अनुमोदन प्रदान करते हुए, एक लिखित आदेश पारित करेगा; या

(आ) यदि उसका समाधान नहीं होता है तो ऐसे आवेदन को खारिज करते हुए एक लिखित आदेश पारित करेगा और उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए जाने के पश्चात् उसके अनुमोदन को रद्द भी करेगा ;

(iii) जहां उक्त परंतुक के खंड (iv) के अधीन आवेदन किया जाता है तो निर्धारण वर्ष जिससे रजिस्ट्रीकरण चाहा गया है से तीन वर्ष की अवधि के लिए उसे अनंतिम रूप से अनुमोदन प्रदान करते हुए लिखित आदेश पारित करेगा,

और ऐसे आदेश की एक प्रति संस्थान या निधि को भेजेगा :

परंतु यह भी कि पहले परंतुक के खंड (i), खंड (ii) के उपखंड (ख) और खंड (iii) के अधीन आदेश उस माह के अंत से जिसमें आवेदन प्राप्त किया गया है, प्रकल्पित क्रमश: तीन मास, छह मास और एक मास की अवधि की समाप्ति से पहले ऐसे प्ररूप और रीति में जो विहित की जाए आदेश पारित किया जाएगा :

परंतु यह भी कि दूसरे परंतुक के अधीन प्रदान किया गया अनुमोदन संस्थान या निधि को लागू होगा जहां ऐसा आवेदन, —

(क) पहले परंतुक के खंड (i) के अधीन, उस निर्धारण वर्ष से जिससे ऐसे संस्थान या निधि को अनुमोदन पूर्व में प्रदान किया गया था, किया गया है ;

(ख) पहले परंतुक के खंड (iii) के अधीन, पहले निर्धारण वर्ष से जिसके लिए ऐसे संस्थान या निधि को अनंतिम रूप से अनुमोदित किया गया था, किया गया है;

(ग) किसी अन्य मामले में, उस वित्तीय वर्ष जिसमें ऐसा आवेदन किया जाता है के अव्यवहित आगामी निर्धारण वर्ष से किया गया है ।";

(ग) उपधारा (5ङ) का लोप किया जाएगा और 1 जून, 2020 से लोप किया गया समझा जाएगा;

(घ) उक्त खंड (5घ) के पश्चात् 1 अप्रैल, 2021 से निम्नलिखित उपखंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(5ङ) आयुक्त के समक्ष लंबित सभी आवेदनों को जिन पर उस तारीख को जिसको यह उपधारा प्रवृत्त हुई है से पहले उपधारा (5) के खंड (vi) के अधीन कोई आदेश पारित नहीं किया गया है उपधारा (5) के पहले परंतुक के खंड (iv) के अधीन उस तारीख को किए गए आवेदन समझे जाएंगे ।"।

(ङ) स्पष्टीकरण 2क का लोप किया जाएगा और 1 जून, 2020 से लोप किया गया समझा जाएगा ;

(च) स्पष्टीकरण 2 के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण 1 अप्रैल, 2021 से अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"स्पष्टीकरण 2क--शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि किसी संस्था या ऐसी निधि, जिसके द्वारा फाइल किए गए किसी निर्धारण वर्ष के लिए आय की विवरणी में, जिस पर उपधारा (5) के उपबंध लागू होते हैं, किए गए किसी स्दाय के संबंध में कटौती के लिए निर्धारिती का दावा समय-समय पर बोर्ड द्वारा विरचित जोखिम प्रबंध युक्ति के अनुसरण में सत्यापन के अधीन, ऐसे प्राधिकरण द्वारा विहित किए गए आयकर प्राधिकरण या प्राधिकृत व्यक्ति के लिए संस्था अथवा निधि द्वारा प्रस्तुत कुए गए उक्त दान के संबंध में जानकारी के आधार पर अनुज्ञात किया जाएगा ।";

(XIII) धारा 92गक की उपधारा (7) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"(8) केंद्रीय सरकार, उपधारा (3) के अधीन असन्निकट कीमत के अवधारण के प्रयोजनों के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, स्कीम बना

सकेगी, जिससे,—

(क) अंतरण मूल्यांकन अधिकारी और निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति के मध्य, प्रौद्योगिकीय रूप से साध्य सीमा तक, अंतरापृष्ठ को समाप्त करके ;

(ख) अधिक मात्रा में संसाधनों के ईष्टतम उपयोग और कार्यात्मक विशिष्टता के द्वारा ;

(ग) ऐसी सक्रिय अधिकारिता के साथ असन्निकट कीमत का टीम आधारित अवधारण को समाविष्ट करके,

बेहतर दक्षता, पारदर्शिता और जबावदेही लाई जा सके ।

(9) केंद्रीय सरकार, उपधारा (8) के अधीन बनाई गई स्कीम को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के उपबंधों में से कोई उपबंध ऐसे अपवादों, उपांतरणों और अनुकूलनों सहित लागू नहीं होगा या लागू होगा :

परंतु 31 मार्च, 2022 के पश्चात् कोई निदेश जारी नहीं किया जाएगा ।

(10) उपधारा (8) और उपधारा (9) के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना, अधिसूचना जारी किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी ।"।

(XIV) धारा 115कघ में, 1 अप्रैल, 2021 से,—

(क) उपधारा (1) में,—

(i) आरंभिक भाग में, "विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता" शब्दों के स्थान पर, "विनिर्दिष्ट निधि या विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (i) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(i) खंड (क) में निर्दिष्ट प्रतिभूतियों के संबंध आय पर संगणित आय कर की रकम, यदि कोई हो, कुल आय मे—

(अ) विदेशी संस्थागत विविधता की दशा में बीस प्रतिशत की दर से सम्मिलित की जाएंगी ;

(आ) विनिर्दिष्ट निधि के मामले में दस प्रतिशत की दर से सम्मिलित की जाएगी ;

(iii) खंड (iv) में, "विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता" शब्दों के स्थान पर, "विनिर्दिष्ट निधि या विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"(1क) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, विनिर्दिष्ट निधि की दशा में इस धारा का उपबंध केवल आय की उस सीमा तक लागू होगा, जो विहित रीति में संगणित अनिवासी (जो भारत में किसी

अनिवासी का स्थायी स्थापन नहीं है) द्वारा धारित यूनिटें मानी जा सकती है ।";

(ग) उपधारा (2) में, "विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता" शब्दों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं, "विनिर्दिष्ट निधि या विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता" शब्द रखे जाएंगे ;

(घ) स्पष्टीकरण में, खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

'(ख) "स्थायी स्थापन" का वही अर्थ होगा, जो उसका धारा 92च के खंड (iiक) में है ;

(ग) "प्रतिभूतियां" पद का वही अर्थ होगा, जो उसका प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (ज) में है ; 2

1956 का 4

(घ) "विनिर्दिष्ट निधि" पद का वही अर्थ होगा, जो उसका धारा 10 के खंड (4घ) के स्पष्टीकरण के खंड (ग) में है ।';

(XV) धारा 115खखघक में, स्पष्टीकरण के खंड (ख) के उपखंड (iii) में,—

(i) "धारा 12क या धारा 12कक या धारा 12कख के अधीन" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर "धारा 12क या धारा 12कक के अधीन" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे और 1 जून, 2020 से रखे गए समझे जाएंगे ;

(ii) इस प्रकार प्रतिस्थापित "धारा 12क या धारा 12कक के अधीन" शब्दों और अक्षरों के स्थान पर "धारा 12क या धारा 12कक या धारा 12कख के अधीन" शब्द, अंक और अक्षर 1 अप्रैल, 2021 से रखे जाएंगे ;

(XVI) धारा 115ञङङ की उपधारा (2) में, निम्नलिखित उपधारा 1 अप्रैल, 2021 से अंत:स्थापित की जाएगी अर्थात् :—

"(2क) इस अध्याय के उपबंध, धारा 10 के खंड (4घ) के स्पष्टीकरण के खंड (ग) में विनिर्दिष्ट निधि को लागू नहीं होंगे ।";

(XVII) धारा 115नघ में,—

(i) "धारा 12कक या धारा 12कख के अधीन" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं "धारा 12कक के अधीन" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे और 1 जून, 2020 से किए गए समझे जाएंगे ;

(ii) "धारा 12कक के अधीन" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, "धारा 12क या धारा 12कख के अधीन" शब्द, अंक और अक्षर 1 अप्रैल, 2021 से रखे जाएंगे ;

(XVIII) धारा 129 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा 1 नवंबर, 2020 से अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"आय-कर प्राधिकारियों की पहचानविहीन अधिकारिता ।

130. (1) केंद्रीय सरकार, निम्नलिखित के प्रयोजनों के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक स्कीम बना सकेगी,—

(क) धारा 120 में यथानिर्दिष्ट इस अधिनियम द्वारा या उसके

अधीन आय-कर प्राधिकारियों को, यथास्थिति, प्रदत्त या समनुदेशित सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग और सभी या किन्हीं कृत्यों का पालन करने के लिए ; या

(ख) धारा 124 में यथानिर्दिष्ट निर्धारण अधिकारी को अधिकारिता निहित करने के लिए ; या

(ग) धारा 127 के अधीन मामलों का अंतरण करने की शक्ति का प्रयोग करने के लिए ; या

(घ) धारा 129 में यथानिर्दिष्ट पदधारण में परिवर्तन की दशा में अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए,

जिससे,—

(i) आय-कर प्राधिकारी और निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति के मध्य, प्रौद्योगिकीय रूप से साध्य सीमा तक, अंतरापृष्ठ को समाप्त करके ;

(ii) अधिक मात्रा में संसाधनों के ईष्टतम उपयोग और कार्यात्मक विशिष्टता के द्वारा ;

(iii) सक्रिय अधिकारिता के साथ एक साथ मिलकर दो या अधिक आय-कर प्राधिकारियों द्वारा किसी क्षेत्र या व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्ग या आय या आय के वर्ग या मामले या मामलों के वर्ग के संबंध में टीम आधारित शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों के पालन को समाविष्ट करके,

बेहतर दक्षता, पारदर्शिता और जबावदेही लाई जा सके ।

(2) केंद्रीय सरकार, उपधारा (1) के अधीन बनाई गई स्कीम को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के उपबंधों में से कोई उपबंध ऐसे अपवादों, उपांतरणों और अनुकूलनों सहित, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, लागू नहीं होगा या लागू होगा :

परंतु 31 मार्च, 2022 के पश्चात् कोई निदेश जारी नहीं किया जाएगा ।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना, अधिसूचना जारी किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी ।"।

(XIX) धारा 133क में, 1 नवंबर, 2020 से,—

(i) उपधारा (6) में, परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु आय-कर प्राधिकारी द्वारा, इस धारा के अधीन कोई भी कार्रवाई प्रधान महानिदेशक या महानिदेशक या प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त के अनुमोदन के बिना नहीं की जाएगी ।";

(ii) स्पष्टीकरण के खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा

जाएगा, अर्थात् :—

'(क) "आय-कर प्राधिकारी" से निम्नलिखित अभिप्रेत है,—

(i) कोई प्रधान आयुक्त या आयुक्त या, कोई प्रधान निदेशक या निदेशक या कोई संयुक्त आयुक्त या संयुक्त निदेशक, कोई सहायक निदेशक या कोई उप निदेशक या निर्धारण अधिकारी या कर वसूली अधिकारी ; और

(ii) इसके अंतर्गत उपधारा (1) के खंड (i) या उपधारा (3) के खंड (i) या उपधारा (5) के प्रयोजनों के लिए कोई आय-कर निरीक्षक भी है,

जो, यथास्थिति, प्रधान आय-कर महानिदेशक (अन्वेषण) या आय-कर महानिदेशक (अन्वेषण) या प्रधान मुख्य आय-कर आयुक्त (टीडीएस) या मुख्य आय-कर आयुक्त (टीडीएस) के अधीनस्थ है ;";

(XX) धारा 133ग में, 1 नवंबर, 2020 से,—

(क) उपधारा (2) में, "ऐसी जानकारी या दस्तावेज पर कार्रवाई कर सकेगा और निर्धारण अधिकारी को ऐसी कार्रवाई करने का परिणाम उपलब्ध करवा सकेगा" शब्दों के स्थान पर, "ऐसी जानकारी या दस्तावेज पर, उपधारा (3) के अधीन अधिसूचित स्कीम या धारा 135क के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई और उसका उपयोग कर सकेगा" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(4) उपधारा (3) के अधीन अधिसूचित स्कीम, उस तारीख से, जिसको इस धारा के संबंध में धारा 135क के अधीन अधिसूचित स्कीम प्रभावी होती है, प्रभावहीन हो जाएगी ।";

(XXI) धारा 135 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा 1 नवंबर, 2020 से अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"सूचना का पहचानविहीन संग्रहण ।"

135क. (1) केंद्रीय सरकार, धारा 133 के अधीन सूचना की मांग, धारा 133ख के अधीन कतिपय सूचना के संग्रहण या धारा 133ग के अधीन विहित आय-कर प्राधिकारी द्वारा सूचना की मांग करने या धारा 134 के अधीन कंपनियों के रजिस्टर का निरीक्षण करने की शक्ति का प्रयोग या धारा 135 के अधीन निर्धारण अधिकारी की शक्ति का प्रयोग करने के प्रयोजनों के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक स्कीम बना सकेगी, जिससे—

(क) आय-कर प्राधिकारी और निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति के मध्य, प्रौद्योगिकीय रूप से साध्य सीमा तक, अंतरापृष्ठ को समाप्त करके ;

(ख) अधिक मात्रा में संसाधनों के ईष्टतम उपयोग और कार्यात्मक विशिष्टता के द्वारा ;

(ग) सक्रिय अधिकारिता के साथ टीम आधारित सूचना मांगे जाने,

उसका संग्रहण या उस पर कार्यवाही करना या उसका उपयोग या शक्तियों का प्रयोग करने की प्रक्रिया समाविष्ट करके,

बेहतर दक्षता, पारदर्शिता और जबावदेही लाई जा सके ।

(2) केंद्रीय सरकार, उपधारा (1) के अधीन बनाई गई स्कीम को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के उपबंधों में से कोई उपबंध ऐसे अपवादों, उपांतरणों और अनुकूलनों सहित, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, लागू नहीं होगा या लागू होगा :

परंतु 31 मार्च, 2022 के पश्चात् कोई निदेश जारी नहीं किया जाएगा ।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना, अधिसूचना जारी किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी ।"।

(XXII) धारा 142क के पश्चात्, निम्नलिखित धारा 1 नवंबर, 2020 से अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

"पहचान-विहीन जांच या मूल्यांकन ।

142ख. (1) केंद्रीय सरकार, धारा 142 की उपधारा (1) के अधीन सूचना जारी करने या उपधारा (2) के अधीन निर्धारण के पहले जांच करने या उपधारा (2क) के अधीन निर्धारिती को संपरीक्षित खाते लाने या धारा 142 के अधीन मूल्यांकन अधिकारी द्वारा किसी आस्ति, संपत्ति या विनिधान का प्राक्कलन करने के प्रयोजनों के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक स्कीम बना सकेगी, जिससे--

(क) आय-कर प्राधिकारी या मूल्यांकन अधिकारी और निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति के मध्य, प्रौद्योगिकीय रूप से साध्य सीमा तक, अंतरापृष्ठ को समाप्त करके ;

(ख) अधिक मात्रा में संसाधनों के ईष्टतम उपयोग और कार्यात्मक विशिष्टता के द्वारा ;

(ग) सक्रिय अधिकारिता के साथ सूचना जानी करने या जांच करने या निदेश जारी करने या मूल्यांकन करने की टीम आधारित प्रक्रिया समाविष्ट करके,

बेहतर दक्षता, पारदर्शिता और जबावदेही लाई जा सके ।

(2) केंद्रीय सरकार, उपधारा (1) के अधीन बनाई गई स्कीम को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के उपबंधों में से कोई उपबंध ऐसे अपवादों, उपांतरणों और अनुकूलनों सहित, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, लागू नहीं होगा या लागू होगा :

परंतु 31 मार्च, 2022 के पश्चात् कोई निदेश जारी नहीं किया जाएगा ।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना,

अधिसूचना जारी किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी ।"।

(XXIII) धारा 143 में, 1 अप्रैल, 2021 से—

(i) उपधारा (3ख) के परन्तुक में, "2022" अंकों के स्थान पर, "2021" अंक रखे जाएंगे :

(ii) उपधारा (3ग) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(3घ) उपधारा (3क) और उपधारा (3ख) में अन्तर्विष्ट कोई बात, 1 अप्रैल, 2021 को या उसके पश्चात् यथास्थिति, उपधारा (3) या धारा 144 के अधीन किए गए निर्धारण को लागू नहीं होगी ।"।

(XXIV) धारा 144क के पश्चात्, निम्नलिखित धारा 1 नवम्बर, 2020 से अंतःस्थापित की जाएगी अर्थात् :—

'पहचान विहीन निर्धारण ।

144ख. (1) अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, उपधारा (3) में निर्दिष्ट मामलों में, धारा 143 की उपधारा (3) या धारा 144 के अधीन निर्धारण, निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार पहचान विहीन रीति में किया जाएगा, अर्थात् :—

(i) राष्ट्रीय पहचान विहीन निर्धारण केंद्र, धारा 143 की उपधारा (2) के अधीन निर्धारिती पर सूचना की तामील करेगा ;

(ii) निर्धारिती, खंड (i) में निर्दिष्ट सूचना प्राप्त होने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर, राष्ट्रीय पहचान विहीन निर्धारण केंद्र को अपना प्रत्युत्तर फाइल कर सकेगा ;

(iii) जहां निर्धारिती ने—

(क) धारा 139 के अधीन या धारा 142 की उपधारा (1) या धारा 148 की उपधारा (1) के अधीन जारी किसी सूचना के प्रत्युत्तर में अपनी आय की विवरणी दी है और धारा 143 की उपधारा (2) के अधीन सूचना, यथास्थिति, निर्धारण अधिकारी या विहित आय-कर प्राधिकारी द्वारा जारी की गई है ; या

(ख) निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 142 की उपधारा (1) के अधीन जारी किसी सूचना के प्रत्युत्तर में अपनी आय की विवरणी नहीं दी है ; या

(ग) धारा 148 की उपधारा (1) के अधीन अपनी आय की विवरणी नहीं दी है और निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 142 की उपधारा (1) के अधीन सूचना जारी की गई है,

वहां राष्ट्रीय पहचान विहीन निर्धारण केंद्र, निर्धारिती को यह सूचित करेगा कि उसके मामले में निर्धारण इस धारा के अधीन अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा ।

(iv) राष्ट्रीय पहचान विहीन निर्धारण केंद्र, इस धारा के अधीन

पहचान विहीन निर्धारण के प्रयोजनों के लिए चयनित मामलों को, स्वचालित आबंटन प्रक्रिया के माध्यम से किसी एक क्षेत्रीय पहचान विहीन निर्धारण केंद्र में विनिर्दिष्ट निर्धारण इकाई को सौंपेगा ;

(v) जहां कोई मामला निर्धारण इकाई को सौंपा जाता है, वहां वह राष्ट्रीय पहचान विहीन निर्धारण केंद्र से, —

(क) निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति से, ऐसी और जानकारी, दस्तावेज या साक्ष्य, जो विनिर्दिष्ट किए जाएं, अभिप्राप्त करने का ;

(ख) सत्यापन इकाई द्वारा कतिपय जांच या सत्यापन करने का ;

(ग) तकनीकी इकाई से तकनीकी सहायता प्राप्त करने का, अनुरोध कर सकेगी ।

(vi) जहां निर्धारण इकाई द्वारा निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति से और जानकारी, दस्तावेज या साक्ष्य के लिए अनुरोध किया गया है, वहां राष्ट्रीय पहचान विहीन निर्धारण केंद्र, निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति को अध्यापेक्षित जानकारी, दस्तावेज या साक्ष्य अभिप्राप्त करने के लिए समुचित सूचना या अध्यपेक्षा जारी करेगा ;

(vii) यथास्थिति, निर्धारिती या कोई अन्य व्यक्ति, खंड (vi) में निर्दिष्ट सूचना के प्रति अपना प्रत्युतर, उसमें विनिर्दिष्ट समय के भीतर या ऐसे समय के भीतर, जो इस संबंध में आवेदन के आधार पर विस्तारित किया जाए, राष्ट्रीय पहचान विहीन निर्धारण केंद्र को फाइल करेगा ;

(viii) जहां मूल्यांकन इकाई द्वारा कतिपय जांच या सत्यापन करने का अनुरोध निर्धारण इकाई द्वारा किया गया है, वहां अनुरोध राष्ट्रीय पहचान विहीन निर्धारण केंद्र द्वारा स्वचालित आबंटन प्रणाली के माध्यम से किसी एक क्षेत्रीय पहचान विहीन निर्धारण केंद्र में किसी सत्यापन इकाई को सौंपा जाएगा ।

(ix) जब निर्धारण यूनिट द्वारा तकनीकी यूनिट द्वारा तकनीकी सहायता के लिए किया गया कोई अनुरोध प्राप्त होता है तो अनुरोध को राष्ट्रीय पहचान विहीन निर्धारण केंद्र द्वारा स्वःचालित आबंटन प्रणाली के माध्यम से किसी एक प्रादेशिक पहचान विहीन निर्धारण केंद्र में तकनीकी यूनिट को समनुदेशित किया जाएगा ;

(x) राष्ट्रीय पहचान विहीन निर्धारण केंद्रखंड (viii) खंड (ix) में निर्दिष्ट अनुरोध के आधार पर सत्यापन यूनिट या तकनीकी यूनिट से प्राप्त रिपोर्ट को संबंधित निर्धारण यूनिट को भेजेगा ;

(xi) जब निर्धारिती खंड (vi) में निर्दिष्ट नोटिस या धारा 142 की उपधारा (1) के अधीन जारी नोटिस या धारा 142 की उपधारा (2क) के अधीन जारी निदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है तब राष्ट्रीय

पहचान विहीन निर्धारण केंद्र ऐसे निर्धारिती पर धारा 144 के अधीन एक नोटिस की उसे नोटिस में विनिर्दिष्ट तारीख और समय पर हेतुक उपदर्शित करने का अवसर देते हुए तामील करेगा कि क्यों न उसकी दशा में निर्धारण को उसकी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार पूरा किया जाना चाहिए ;

(xii) निर्धारिती खंड (xi) में निर्दिष्ट नोटिस में विनिर्दिष्ट समय के भीतर या ऐसे समय के भीतर, जिसका इस निमित्त किए गए आवेदन के आधार पर विस्तार किया जाए, अपना प्रत्युत्तर राष्ट्रीय पहचान विहीन निर्धारण केंद्र को फाइल करेगा ;

(xiii) जब निर्धारिती खंड (xi) में निर्दिष्ट नोटिस का प्रत्युत्तर उसमें विनिर्दिष्ट समय के भीतर या विस्तारित समय के भीतर, यदि कोई हो, प्रत्युत्तर फाइल करने में असफल रहता है, राष्ट्रीय पहचान विहीन निर्धारण केंद्र ऐसी असफलता से निर्धारण यूनिट को संसूचित करेगा ;

(xiv) निर्धारण यूनिट अभिलेख पर उपलब्ध सभी सुसंगत सामग्री को गणना में लेते हुए, यथास्थिति, एक प्रारूप निर्धारण आदेश करेगा या जहां खंड (xiii) निर्दिष्ट संसूचना राष्ट्रीय पहचान विहीन निर्धारण केंद्र से प्राप्त होती है, अपने सर्वोत्तम निर्णय के अनुसारएक लिखित प्रारूप निर्धारण आदेश द्वारा उक्त आय या राशि में परिवर्तन करते हुए या तो निर्धारिती द्वारा उसकी विवरणी के अनुसार आय या संदेय राशिया प्रतिदेय को स्वीकार करेगा और ऐसे आदेश की एक प्रति राष्ट्रीय पहचान विहीन निर्धारण केंद्र को भेजेगा ;

(xv) निर्धारण यूनिट प्रारूप निर्धारण आदेश करते समय उसमें संस्थित की जाने वाली शास्ति कार्यवाहियों, यदि कोई हो, के ब्यौरे उपलब्ध कराएगी ;

(xvi) राष्ट्रीय पहचान विहीन निर्धारण केंद्र बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट जोखिमप्रबंधन रणनीति, जिसके अंतर्गत स्वचालित जांच टूल हैं, के अनुसार प्रारूप निर्धारण आदेश की जांच करेगा । तत्पश्चात् वह--

(क) प्रारूप निर्धारण आदेश के अनुसार निर्धारिती के हित में किसी प्रतिकूल फेरफार का प्रस्ताव न किए जाने की दशा में ऐसे आदेश और नोटिस की शास्ति कार्यवाहियां, यदि कोई हो, संस्थित करने के लिएऐसे निर्धारण के आधार पर निर्धारिती द्वारा संदेय राशि या उसको प्रतिदेय किसी रकम को विनिर्दिष्ट करते हुए,मांग सूचना के साथ निर्धारिती को तामील करेगा ;

(ख) निर्धारिती के हित में किसी प्रतिकूल फेरफार का प्रस्ताव किए जाने की दशा में निर्धारिती को यह उपदर्शित करने के लिए कि क्यों न प्रस्तावित फेरकार किया जाना चाहिए, हेतुक उपदर्शित करने के नोटिस की तामील करके एक अवसर प्रदान करेगा ;

(ग) प्रारूप निर्धारण आदेश कोपुनर्विलोकन के लिए स्वचालित

आबंटन प्रणाली के माध्यम से ऐसे आदेश का पुनर्विलोकन संचालित करने के लिए प्रादेशिक पहचान विहीन निर्धारण केंद्र को समनुदेशित करेगा ;

(xvii) पुनर्विलोकन यूनिट उसे राष्ट्रीय पहचान विहीन निर्धारण केंद्र द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप निर्धारण आदेश का पुनर्विलोकन संचालित करेगी, तत्पश्चात् वह—

(क) प्रारूप निर्धारण आदेश से सहमति का विनिश्चय कर सकेगा और राष्ट्रीय पहचान विहीन निर्धारण केंद्र ऐसी सहमति से संसूचित करेगा ; या

(ख) प्रारूप निर्धारण आदेश में ऐसे फेरफार का सुझाव देने का विनिश्चय करेगा, जो वह ठीक समझे और सुझावों को राष्ट्रीय पहचान विहीन निर्धारण केंद्र भेजेगा ;

(xviii) राष्ट्रीय पहचान विहीन निर्धारण केंद्र पुनर्विलोकन यूनिट से सहमति प्राप्त होने पर निम्नलिखित में अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा—

(क) खंड (xvi) के उपखंड (क) में ; या

(ख) खंड (xvi) के उपखंड (ख) में ;

(xix) राष्ट्रीय पहचान विहीन निर्धारण केंद्र पुनर्विलोकन यूनिट से फेरफार के सुझाव प्राप्त होने पर मामले को उस निर्धारण यूनिट,जिसने प्रारूप निर्धारण आदेश किया था, से भिन्न किसी अन्य निर्धारण यूनिट को स्व:चालित आबंटन प्रणाली के माध्यम से समनुदेशित करेगा ;

(xx) निर्धारण यूनिट, पुनर्विलोकन यूनिट द्वारा सुझाए गए फेरफार पर विचार करने के पश्चात् अंतिम प्रारूप निर्धारण आदेश को राष्ट्रीय पहचान विहीन निर्धारण केंद्र भेजेगा ;

(xxi) राष्ट्रीय पहचान विहीन निर्धारण केंद्र अंतिम प्रारूप निर्धारण आदेश प्राप्त होने पर निम्नलिखित में अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा—

(क) खंड (xvi) के उपखंड (क) में ; या

(ख) खंड (xvi) के उपखंड (ख) में ;

(xxii) निर्धारिती उस दशा में, जहां उस पर खंड (xvi) के उपखंड (ख) में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार हेतुक उपदर्शित करने के नोटिस की तामील की गई थी अपने प्रत्युत्तर को राष्ट्रीय पहचान विहीन निर्धारण केंद्र को नोटिस में विनिर्दिष्ट तारीख और समय या विस्तारित समय, यदि कोई हो, को या उससे पूर्व प्रस्तुत करेगा ;

(xxiii) राष्ट्रीय पहचान विहीन निर्धारण केंद्र,—

(क) जब खंड (xxii) के अनुसार हेतुक उपदर्शित करने के

नोटिस का कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं होता है,—

(अ) उस दशा में, जहां प्रारूप निर्धारण आदेश या अंतिम प्रारूप निर्धारण आदेश किसी पात्र निर्धारिती के संबंध में है और कोई फेरफार करने का प्रस्ताव करता है, जो कि उक्त निर्धारिती के हित के प्रतिकूल है, प्रारूप निर्धारण आदेश या अंतिम प्रारूप निर्धारण आदेश को ऐसे निर्धारिती को अग्रेषित करेगा ; या

(आ) किसी अन्य दशा में, प्रारूप निर्धारण आदेश या अंतिम निर्धारण आदेश के अनुसार निर्धारण को अंतिम रूप देगा और शास्ति कार्यवाहियां, यदि कोई हों, संस्थित करने के लिए ऐसे आदेश और नोटिस की प्रति की मांग सूचना के साथ निर्धारिती द्वारा संदेय राशिया ऐसे निर्धारण के आधार पर निर्धारिती को देय किसी रकम के प्रतिदाय को विनिर्दिष्ट करते हुए तामील करेगा ;

(ख) किसी अन्य दशा में निर्धारिती से प्राप्त प्रत्युत्तर को निर्धारण यूनिट को भेजेगा ;

(xxiv) निर्धारण यूनिट निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर को गणना के लेते हुए एक पुनरीक्षित प्रारूप निर्धारण आदेश करेगा और उसे राष्ट्रीय पहचान विहीन निर्धारण केंद्र को भेजेगा ;

(xxv) राष्ट्रीय पहचान विहीन निर्धारण केंद्र पुनरीक्षित प्रारूप निर्धारण आदेश प्राप्त करने पर,—

(क) पुनरीक्षित प्रारूप निर्धारण आदेश में प्रस्तावित फेरफार के प्रारूप निर्धारण आदेश या अंतिम प्रारूप निर्धारण आदेशकी तुलना में निर्धारिती के हित में प्रतिकूल न होने की दशा में, और—

(अ) यदि पुनरीक्षित प्रारूप निर्धारण आदेश किसी पात्र निर्धारिती के संबंध में है और प्रारूप निर्धारण आदेश या अंतिम प्रारूप निर्धारण आदेश में निर्धारिती के हित में किसी प्रतिकूल फेरफार का प्रस्ताव किया गया है तो उक्त पुनरीक्षित प्रारूप निर्धारण आदेश को ऐसे निर्धारिती को अग्रेषित करेगा ;

(आ) किसी अन्य दशा में, निर्धारण को पुनरीक्षित प्रारूप निर्धारण आदेश के अनुसार अंतिम रूप देगा और ऐसे आदेश और सूचना की शास्ति कार्यवाहियां, यदि कोई हों, संस्थित करने के लिए ऐसे आदेश और नोटिस की प्रति की मांग सूचना के साथ निर्धारिती द्वारा संदेय राशिया ऐसे निर्धारण के आधार पर निर्धारिती को देय किसी रकम के प्रतिदाय को विनिर्दिष्ट करते हुए तामील करेगा ;

(ख) प्रारूप निर्धारण आदेश में फेरफार के पुनरीक्षित प्रारूप निर्धारण आदेश में या अंतिम प्रारूप निर्धारण आदेशकी तुलना में निर्धारिती के हित के प्रतिकूल होने की दशा में निर्धारिती को उसे यह हेतुक उपदर्शित करने के नोटिस की क्यों न प्रस्तावित फेरफार किया जाना चाहिए, एक अवसर प्रदान करेगा ;

(xxvi) खंड (xxiii), खंड (xxiv) और खंड (xxv) में अधिकथित प्रक्रिया आवश्यक उपांतरणों सहित खंड (xxv)के उपखंड (ख) में निर्दिष्ट नोटिस को लागू होगी ;

(xxvii) जब प्रारूप निर्धारण आदेश या अंतिम प्रारूप निर्धारण आदेश या पुनरीक्षित प्रारूप निर्धारण आदेश खंड (xxiii)के खंड (क) की मद (अ) या खंड (xxv)के खंड (क) की मद (अ) के अनुसार पात्र निर्धारिती को अग्रेषित किया जाता है तो ऐसा निर्धारिती धारा 144ग की उपधारा (2) में निर्दिष्ट अवधि के भीतर फेरफार की अपनी स्वीकृति को राष्ट्रीय पहचान विहीन निर्धारण केंद्र को फाइल करेगा ;

(xxviii) राष्ट्रीय पहचान विहीन निर्धारण केंद्र,—

(क) खंड (xxvii) के अनुसार स्वीकृति की प्राप्ति पर ; या

(ख) यदि पात्र निर्धारिती से धारा 144ग की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आक्षेप प्राप्त नहीं होता है,

तो धारा 144ग की उपधारा (4) के अधीन अनुज्ञात समय के भीतर निर्धारण को अंतिम रूप देगा और ऐसे आदेश और नोटिस की प्रति की शास्ति कार्यवाहियां, यदि कोई हों, संस्थित करने के लिएऐसे आदेश और नोटिस की प्रति की मांग सूचना के साथ निर्धारिती द्वारा संदेय राशिया ऐसे निर्धारण के आधार पर निर्धारिती को देय किसी रकम के प्रतिदाय को विनिर्दिष्ट करते हुए तामील करेगा ;

(xxix) जब पात्र निर्धारिती अपने आक्षेपों को विवाद समाधान पैनल के पास फाइल करता है तो राष्ट्रीय पहचान विहीन निर्धारण केंद्र विवाद समाधान पैनल द्वारा धारा 144ग की उपधारा (5) के अधीन जारी निदेशों की प्राप्ति पर ऐसे निदेशों को संबंधित निर्धारण यूनिट को अग्रेषित करेगा ;

(xxx) निर्धारण यूनिट धारा 144ग की उपधारा (5) के अधीन विवाद समाधान पैनल द्वारा जारी निदेशों के अनुसार धारा 144ग की उपधारा (13) के अनुसार एक प्रारूप निर्धारण आदेश तैयार करेगा और ऐसे आदेश की प्रति को राष्ट्रीय पहचान विहीन निर्धारण केंद्र भेजेगा ;

(xxxi) राष्ट्रीय पहचान विहीन निर्धारण केंद्र खंड (xxx) में निर्दिष्ट प्रारूप निर्धारण आदेश की प्राप्ति पर धारा 144ग की उपधारा (13) के अधीन अनुज्ञात समय के भीतर निर्धारण को अंतिम रूप देगा और नोटिस की प्रति की शास्ति कार्यवाहियां, यदि कोई हों, संस्थित करने के लिए ऐसे आदेश और नोटिस की प्रति की मांग सूचना के साथ निर्धारिती

द्वारा संदेय राशिया ऐसे निर्धारण के आधार पर निर्धारिती को देय किसी रकम के प्रतिदाय को विनिर्दिष्ट करते हुए तामील करेगा ;

(xxxii) राष्ट्रीय पहचान विहीन निर्धारण केंद्र निर्धारण पूरा करने के पश्चात् मामले के सभी इलैक्ट्रानिक अभिलेखों को उक्त मामले पर अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी को ऐसी कार्रवाई के लिए, जो अधिनियम के अधीन अपेक्षित हो, अग्रेषित करेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन पहचान विहीन निर्धारण ऐसे राज्य क्षेत्र या व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्ग या आय या आय के वर्ग या मामलों या मामलों के वर्ग, जैसा कि बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, के संबंध में किया जाएगा ।

(3) बोर्ड, निर्धारिती की कुल आय या नुकसान के पहचान विहीन निर्धारण के लिए,—

(i) राष्ट्रीय पहचान विहीन निर्धारण केंद्र केंद्रीयकृत रूप से पहचान विहीन निर्धारण कार्यवाहियां संचालित करना सुकर करेगा, उसे पहचान विहीन निर्धारण करने की अधिकारिता होगी ;

(ii) प्रादेशिक पहचान विहीन निर्धारण केंद्रों, जैसा कि वह प्रधान मुख्य आयुक्त के कैडर नियंत्रण क्षेत्र में पहचान विहीन निर्धारण कार्यवाहियां संचालित करने के लिए आवश्यक समझे, का गठन करेगा ;

(iii) निर्धारण यूनिट, जैसा कि वह पहचान विहीन निर्धारण संचालित करने को सुकर करने के लिए, निर्धारण करने के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए, जिसके अंतर्गत अधिनियम के अधीन किसी दायित्व (जिसके अंतर्गत प्रतिदाय है) का अवधारण करने के लिए बिन्दुओं या तात्विक सामग्री की पहचान सम्मिलित है, इस प्रकार पहचाने गए बिन्दुओं या मुद्दों पर सूचना या स्पष्टीकरण की वांछा करना, निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की गई सामग्री का विश्लेषण और ऐसे अन्य कृत्य, जैसा कि पहचान विहीन निर्धारण करने के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हो, का गठन करना ;

(iv) सत्यापन यूनिटों, जैसा कि वह पहचान विहीन निर्धारण संचालित करने को सुकर बनाने के लिए, सत्यापन कृत्यों का निष्पादन करने के लिए, जिसके अंतर्गत प्रति सत्यापन, लेखा बहियों की जांच, साक्षियों की जांच और कथनों का अभिलेखन तथा ऐसे अन्य कृत्य, जो सत्यापन के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हों, सम्मिलित हैं, की स्थापना करना ;

(v) तकनीकी यूनिटों, जैसा पहचान विहीन निर्धारण संचालित करने को सुकर बनाने के लिए, तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए आवश्यक हों, जिसके अंतर्गत विधिक, लेखांकन, न्यायालयीन सूचना प्रौद्योगिकी, मूल्यांकन, अंतरण कीमत निर्धारण, डाटा विश्लेषण विज्ञान, प्रबंधन या कोई अन्य तकनीकी विषय, जो इस

धारा के अधीन किसी विशिष्ट मामले या मामलों के वर्ग के लिए अपेक्षित हो, सम्मिलित है, का गठन ; और

(vi) पुनर्विलोकन यूनिटों, जैसे कि पहचान विहीन निर्धारण संचालित करने को सुकर बनाने के लिए, प्रारूप निर्धारण आदेश का पुनर्विलोकन के कृत्य का निष्पादन करने के लिए आवश्यक हों, जिसके अंतर्गत इस बात की जांच करना कि क्या अभिलेख पर सुसंगत और तात्विक साक्ष्य रखा गया है, क्या सुसंगत तथ्य बिन्दु और विधि को प्रारूप आदेश में सम्मिलित किया गया है, क्या वह मुद्दे जिन पर वर्धन या वर्धन न करना किया जाना चाहिए, पर प्रारूप आदेश में चर्चा की गई है, क्या प्रारूप आदेश में लागू न्यायिक विनिश्चयों पर विचार और व्यवहार किया गया है, प्रस्तावितफेरफार में अंकगणितीय शुद्धियों की जांच कर ली गई है, यदि कोई हो और ऐसे अन्य कृत्य, जो पुनर्विलोकन के प्रयोजन के लिए आवश्यक हों, का गठन करना,

और उनकी संबंधित अधिकारिता को विनिर्दिष्ट करना ।

(4) निर्धारण यूनिट, सत्यापन यूनिट, तकनीकी यूनिट और पुनर्विलोकन यूनिट के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे, अर्थात् :—

(क) यथास्थिति, अपर आयुक्त या अपर निदेशक या संयुक्त आयुक्त या संयुक्त निदेशक ;

(ख) यथास्थिति, उपायुक्त या उप निदेशक या सहायक आयुक्त या सहायक निदेशक या आय-कर अधिकारी ;

(ग) ऐसे अन्य आय-कर प्राधिकारी, सचिवीय कर्मचारिवृंद, कार्यपालक या सलाहकार जैसा कि बोर्ड द्वारा आवश्यक समझे जाएं ।

(5) निर्धारण यूनिट, पुनर्विलोकन यूनिट, सत्यापन यूनिट यातकनीकी यूनिट या निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति के बीच सूचना या दस्तावेजों या साक्ष्य या किसी अन्य ब्यौरों के संबंध में सभी संचार, जैसा कि पहचान विहीन निर्धारण करने के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हो, राष्ट्रीय पहचान विहीन निर्धारण केंद्र के माध्यम से होगा ;

(6) राष्ट्रीय पहचान विहीन निर्धारण केंद्र और निर्धारिती या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि या किसी अन्य व्यक्ति के बीच सभी संचार अन्यय रूप से इलैक्ट्रानिकी ढंग से होंगे ; और राष्ट्रीय पहचान विहीन निर्धारण केंद्र प्रादेशिक पहचान विहीन निर्धारण केंद्र तथा विभिन्न यूनिटों के बीच आंतरिक संचार अन्यय रूप से इलैक्ट्रानिकी ढंग से होगा :

परंतु इस उपधारा के उपबंध सत्यापन यूनिट द्वारा उपधारा (7) के खंड (xii) के उपखंड (छ) में निर्दिष्ट परिस्थितियों में संचालित जांच या सत्यापन को लागू नहीं होंगे ।

(7) पहचान विहीन निर्धारण के प्रयोजन के लिए—

(i) किसी इलैक्ट्रानिक अभिलेख का अधिप्रमाणन—

(क) राष्ट्रीय पहचान विहीन निर्धारण केंद्र द्वारा डिजीटल हस्ताक्षर चस्पा करके ;

(ख) निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसके डिजीटल हस्ताक्षर चस्पा करके यदि उससे डिजीटल हस्ताक्षर के अधीन आय-कर की विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित हो और किसी अन्य दशा में उसके डिजीटल हस्ताक्षर चस्पा करके विहित रीति में इलैक्ट्रानिक सत्यापन कूट के अधीन;

(ii) प्रत्येक नोटिस या आदेश या किसी अन्य इलैक्ट्रानिकी संचार का परिदान पारेषिती को निर्धारिती द्वारा—

(क) निर्धारिती के रजिस्ट्रीकृत पते पर उसकी अधिप्रमाणित प्रति को रखकर ; या

(ख) उसकी अधिप्रमाणित प्रति को निर्धारिती के या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के रजिस्ट्रीकृत ई--मेल पते पर ;

(ग) निर्धारिती की मोबाइल ऐप पर अधिप्रमाणित प्रति को अपलोड करके ; और

उसके वास्तविक समय पर चेतावनी द्वारा अनुसरण किया जाएगा ;

(iii) प्रत्येक नोटिस या आदेश के किसी अन्य इलैक्ट्रानिकी संचार का परिदान पारेषिती को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, उसकी एक अधिप्रमाणित प्रति को ऐसे व्यक्ति के रजिस्ट्रीकृत ई--मेल पते पर भेजकर किया जाएगा, जिसके पश्चात् परिदान के वास्तविक समय की चेतावनी दी जाएगी ;

(iv) निर्धारिती किसी नोटिस या आदेश या किसी अन्य इलैक्ट्रानिक संचार का प्रत्युत्तर अपने रजिस्ट्रीकृत अकाउंट के माध्यम से देगा और राष्ट्रीय पहचान विहीन निर्धारण केंद्र को उसकी एक बार अभिस्वीकृति भेजे जाने पर, जिसमें प्रत्युत्तर के सफलतापूर्वक प्रस्तुत किए जाने पर एक हैश परिणाम सृजित होगा, प्रत्युत्तर को अधिप्रमाणित किया गया समझा जाएगा ;

(v) इलैक्ट्रानिकी अभिलेख के पारेषण और प्राप्ति के समय और स्थान का अवधारण सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 13 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

2000 का 21

(vi) किसी व्यक्ति से या तो व्यक्तिगत रूप से या किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से आय-कर प्राधिकारी के समक्ष कार्यवाहियों के संबंध में राष्ट्रीय पहचान विहीन निर्धारण केंद्र या प्रादेशिक पहचान विहीन निर्धारण केंद्र या इस उपधारा के अधीन गठित किसी यूनिट के समक्ष उपस्थित होने की अपेक्षा नहीं होगी ;

(vii) ऐसी दशा में, जहां प्रारूप निर्धारण आदेश या अंतिम प्रारूप निर्धारण आदेश या पुनरीक्षित प्रारूप निर्धारण आदेश में फेरफार का प्रस्ताव किया जाता है, निर्धारिती को उस पर हेतुक उपदर्शित करने के

नोटिस की तामील द्वारा अवसर प्रदान किया जाएगा कि ऐसे प्रारूप या अंतिम प्रारूप या पुनरीक्षित प्रारूप निर्धारण आदेश के अनुसार निर्धारण क्यों नहीं पूरा किया जाना चाहिए, यथास्थिति, निर्धारिती या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि व्यक्तिगत सुनवाई का अनुरोध कर सकेगा, जिससे वह आय-कर प्राधिकारी या किसी यूनिट के समक्ष अपनी मौखिक दलील दे सके या अपने मामले को प्रस्तुत कर सके ;

(viii) मुख्य आयुक्त या प्रादेशिक पहचान विहीन निर्धारण केंद्र का भारसाधक महानिदेशक, जिसके अधीन संबंधित यूनिट स्थापित की गई है, खंड (vii) में निर्दिष्ट व्यक्तिगत सुनवाई के अनुरोध का अनुमोदन कर सकेगा, यदि उसकी यह राय है कि अनुरोध खंड (xii) के उपखंड (ज) में निर्दिष्ट परिस्थितियों के अधीन आता है ;

(ix) जहां व्यक्तिगत सुनवाई के अनुरोध का अनुमोदन मुख्य आयुक्त या प्रादेशिक पहचान विहीन निर्धारण केंद्र का भारसाधक महानिदेशक द्वारा किया जाता है, ऐसी सुनवाई का संचालन अनन्य रूप से वीडियो संगोष्ठी या वीडियो दूरभाष के माध्यम से किया जाएगा, जिसके अंतर्गत किसी दूरसंचार अनुप्रयोग साफ्टवेयर का उपयोग भी है, जो बोर्ड द्वारा अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार वीडियो संगोष्ठी या वीडियो दूरसंचार प्रदान करता है ;

(x) उपधारा (6) के परंतुक के अधीन रहते हुए निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति की कोई जांच या कथन का अभिलेखन (अधिनियम की धारा 133क के अधीन सर्वेक्षण के अनुक्रम में अभिलिखित विवरण से भिन्न) का संचालन आय-कर प्राधिकारी द्वारा किसी यूनिट में अनन्य रूप से वीडियो संगोष्ठी या वीडियो दूरभाष के माध्यम से किया जाएगा, जिसके अंतर्गत किसी दूरसंचार अनुप्रयोग साफ्टवेयर का उपयोग भी है, जो बोर्ड द्वारा अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार वीडियो संगोष्ठी या वीडियो दूरसंचार प्रदान करता है ;

(xi) बोर्ड वीडियो संगोष्ठी या वीडियो दूरभाष, जिसके अंतर्गत किसी दूरसंचार अनुप्रयोग साफ्टवेयर का उपयोग भी है, जो बोर्ड द्वारा अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार वीडियो संगोष्ठी या वीडियो दूरसंचार प्रदान करता है, के लिए समुचित सुविधाएं ऐसे स्थानों पर, जो आवश्यक हों, स्थापित करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निर्धारिती या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि या किसी अन्य व्यक्ति को पहचान विहीन निर्धारण के फायदों से केवल इस कारण से इंकार नहीं किया जा सकेकि ऐसा निर्धारिती या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि या किसी अन्य व्यक्ति की वीडियो संगोष्ठी या वीडियो दूरसंचार तक पहुंच नहीं है;

(xii) राष्ट्रीय पहचान विहीन केंद्र का भारसाधक प्रधान मुख्य आयुक्त या प्रधान महानिदेशक, बोर्ड की पूर्व अनुमति से, राष्ट्रीय पहचान विहीन केंद्र, क्षेत्रीय पहचान विहीन केंद्र और स्वचालित और यांत्रिक पर्यावरण में स्थापित इकाई, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित के संबंध में

रूप--विधान, ढंग, प्रक्रिया और प्रसंस्करण सम्मिलित है, की प्रभावी कार्य पद्धति के लिए मानक, प्रक्रियाएं और प्रसंस्करण अधिकथित करेगा, अर्थात् :—

(क) सूचना, आदेश और किसी अन्य संसूचना की तामील ;

(ख) सूचना, आदेश या किसी अन्य संसूचना के उत्तर में किसी व्यक्ति से किसी सूचना या दस्तावेजों की प्राप्ति ;

(ग) व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत उत्तर की पावती जारी किया जाना ;

(घ) "ई--कार्यवाही" सुविधा के उपबंध, जिसके अंतर्गत लॉग--इन खाता सुविधा, निर्धारण की प्रास्थिति का पता लगाना, सुसंगत ब्यौरों का प्रदर्शन और डाउनलोड की सुविधा भी है ;

(ङ) सूचना और उत्तर का अभिगम, सत्यापन और अधिप्रमाणन जिसके अंतर्गत निर्धारण कार्यवाहियों के दौरान प्रस्तुत दस्तावेज भी है ;

(च) केन्द्रीयकृत रीति में सूचना या दस्तावेजों की प्राप्ति, भंडारण और पुन: प्राप्ति ;

(छ) वह परिस्थितियां, जिनमें उपधारा (6) का परंतुक लागू होगा ;

(ज) वह परिस्थितियां, जिनमें खंड (viii) में निर्दिष्ट व्यक्तिगत सुनवाई अनुमोदित की जाएगी ;

(झ) संबंधित केन्द्रों और इकाइयों में साधारण प्रशासन और शिकायत अनुतोष क्रियाविधि ।

(8) उपधारा (1) या उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रीय पहचान विहीन केन्द्र का प्रधान मुख्य आयुक्त या प्रधान महानिदेशक निर्धारण के किसी स्तर पर यदि आवश्यक समझे, बोर्ड के पूर्ण अनुमोदन से मामले को किसी निर्धारण अधिकारी को, जो ऐसे मामले में अधिकारिता रखता है, अंतरित कर सकेगा ।

(9) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, 1 अप्रैल, 2021 को या उसके पश्चात् उक्त धारा 8 के अधीन अंतरित किए गए मामलों से भिन्न, उपधारा (2) में निर्दिष्ट मामलों में धारा 143 की उपधारा (3) के अधीन या उपधारा (144) के अधीन किया गया निर्धारण गैर-स्थापित होगा, यदि ऐसा निर्धारण इस धारा में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार नहीं किया जाता है ।

स्पष्टीकरण—इस धारा में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "प्रेषिती" का वही अर्थ होगा जो उसका सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ख) में

उसका है ;

(ख) "प्राधिकृत प्रतिनिधित्व" का वही अर्थ होगा जो उसका धारा 288 की उपधारा (2) में उसका है ;

(ग) "स्वचालित आबंटन प्रणाली" से विवेक के क्षेत्र का अधिकतम उपयोग करने की दृष्टि से उपयुक्त प्रौद्योगिक औजारों का जिसके अन्तर्गत कृत्रिम बुद्धिमता और यंत्र विद्वता भी है, प्रयोग करके प्ररूप आदेशों की या यादृच्छिक आबंटन लिए एक एल्गोरिथ्म अभिप्रेत है ;

(घ) "स्वचालित परीक्षण औजार" से विवेक के क्षेत्र को कम करने की दृष्टी से उपयुक्त प्रौद्योगिक औजारों का जिसके अन्तर्गत कृत्रिम बुद्धिमता और यंत्र विद्वता भी है, प्रयोग करके प्ररूप आदेशों की मानकित परीक्षा के लिए एक एल्गोरिथ्म अभिप्रेत है ;

(ङ) "कंप्यूटर साधन" का वही अर्थ होगा जो उसका सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ट) में उसका है ; 2000 का 21

(च) "कंप्यूटर प्रणाली" का वही अर्थ होगा जो उसका सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ठ) में उसका है ; 2000 का 21

(छ) "निर्धारिती का कंप्यूटर स्रोत" में आय-कर विभाग के पदाभिहित पोर्टल में निर्धारिती का रजिस्ट्रीकृत खाता, निर्धारिती की रजिस्ट्रीकृत मोबाईल संख्या से संयुक्त मोबाईल एप्प या निर्धारिती का उसके ई--मेल सेवा प्रदाता के साथ ई--मेल खाता सम्मिलित होगा ;

(ज) "अंकीय चिन्ह" का वही अर्थ होगा जो उसका सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (त) में उसका है ; 2000 का 21

(झ) "पदाभिहित पोर्टल" से राष्ट्रीय पहचान विहीन केंद्र के भारसाधक प्रदान मुख्य आयुक्त या प्रधान महानिदेशक द्वारा यथा अभिहित वेब पोर्टल अभिप्रेत है ;

(ञ) "विवाद समाधान पैनल" का वही अर्थ होगा जो उसका धारा 144ग की उपधारा (15) के खंड (क) में उसका है ;

(ट) "पहचान विहीन निर्धारण" से पदाभिहीत पोर्टल में निर्धारिती के रजिस्ट्रीकरण खाते के माध्यम से 'ई--कार्यवाही' सुविधा में इलेक्ट्रॉनिक रूप से संचालित निर्धारण कार्यवाहियां अभिप्रेत है ;

(ठ) "इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख" का वही अर्थ होगा जो उसका सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (न) में है ; 2000 का 21

(ड) "पात्र निर्धारिती" का वही अर्थ होगा जो धारा 144ग की उपधारा (15) के खंड (ख) में उसका है ;

437LAW—

(ढ) "ई--मेल" या "इलेक्ट्रानिक--मेल" से कम्प्यूटर, कम्प्यूटर सिस्टम, कम्प्यूटर संसाधन या संसूचना युक्ति, जिसके अंतर्गत पाठ में संलग्नक, चित्र, श्रव्य, दृश्य और कोई अन्य इलेक्ट्रानिक अभिलेख, जिसे संदेश के साथ संचारित किया जा सकता है, पर सृजित या संचारित या प्राप्त कोई संदेश या सूचना अभिप्रेत है ;

(ण) "हैस फंक्शन" और "हैस रिजल्ट" के वही अर्थ होंगे, जो उनके सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 3 की उपधारा (2) के स्पष्टीकरण में हैं ;

2000 का 21

(त) "मोबाइल ऐप" से मोबाइल युक्तियों के लिए विकसित आय-कर विभाग का एप्लीकेशन साफ्टवेयर अभिप्रेत है, जिसे निर्धारिती के रजिस्ट्रीकृत मोबाइल संख्या पर डाउनलोड और इंस्टाल किया जाता है ;

(थ) "आरंभक" का वही अर्थ होगा, जो उसका सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (यक) में हैं ;

2000 का 21

(द) "रियल टाइल अलर्ट" से कोई संसूचना अभिप्रेत है, जो उसे इलेक्ट्रानिक संसूचना के परिदान के संबंध में सतर्क करने के लिए उसके रजिस्ट्रीकृत मोबाइल संख्या पर शार्ट मैसेजिंग सर्विस द्वारा या उसके मोबाइल ऐप पर अपडेट द्वारा या उसके रजिस्ट्रीकृत ई--मेल पते पर ई--मेल द्वारा भेजा जाता है ;

(ध) निर्धारिती के "रजिस्ट्रीकृत खाता" से अभिहित पोर्टल में निर्धारिती द्वारा रजिस्ट्रीकृत इलेक्ट्रानिक फाइलिंग खाता अभिप्रेत है ;

(न) "रजिस्ट्रीकृत ई--मेल पता" से वह ई--मेल पता अभिप्रेत है, जिस पर संबोधिती को इलेक्ट्रानिक संसूचना परिदत्त या संचारित की जा सकती है, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी है—

(i) अभिहित पोर्टल में रजिस्ट्रीकृत संबोधिती के इलेक्ट्रानिक फाइलिंग खाते में उपलब्ध ई-मेल पता ; या

(ii) संबोधिती द्वारा प्रस्तुत किए गए आय-कर विवरणी में अंतिम उपलब्ध ई-मेल पता ; या

(iii) संबोधिती से संबंधित स्थायी खाता संख्यांक डाटा बेस में उपलब्ध ई-मेल पता ; या

(iv) संबोधिती के कोई व्यष्टि होने की दशा में, जिसके पास आधार संख्या है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के डाटा बेस में उपलब्ध संबोधिती का ई-मेल पता ; या

(v) संबोधिती के कंपनी होने की दशा में, कंपनी का कारपोरेट कार्य मंत्रालय की सरकारी वेबसाइट पर उपलब्ध ई-मेल पता ; या

(vi) आय-कर प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को संबोधिती द्वारा उपलब्ध कराया गया कोई ई-

मेल पता ।

(प) निर्धारिती की "रजिस्ट्रीकृत मोबाइल संख्या" से अभिहित पोर्टल में निर्धारिती द्वारा रजिस्ट्रीकृत इलेक्ट्रानिक फाइलिंग खाते के यूजर प्रोफाइल में प्रकट होने वाला निर्धारिती या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि की मोबाइल संख्या ;

(फ) "वीडियो कान्फ्रेंसिंग या वीडियो टेलीफोनी" से रियल टाइम में लोगों के बीच संसूचना हेतु विभिन्न अवस्थानों पर उपयोक्ता द्वारा श्रव्य--दृश्य सिगनलों की प्राप्ति और संचारण के लिए प्रौद्योगिकी समाधान अभिप्रेत है ।'।

(XXV) धारा 144ग की उपधारा (14क) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं 1 नवंबर, 2020 से अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् : —

"(14ख) केंद्रीय सरकार, विवाद समाधान पैनल द्वारा निदेशों को जारी करने के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक स्कीम बना सकेगी, जिससे निम्नलिखित द्वारा अधिक दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही प्रदान की जा सके—

(क) प्रौद्योगिकी रूप से संभाव्य होने की सीमा तक विवाद समाधान पैनल और पात्र निर्धारिती या अन्य व्यक्ति के बीच अंतरपृष्ठ हटा कर ;

(ख) पैमाने की अर्थव्यवस्था और कार्यात्मक विशेषज्ञीकरण के माध्यम से संसाधनों के उपयोग को अनुकूलतम करके ;

(ग) गतिशील अधिकारिता के साथ विवाद समाधान पैनल द्वारा निदेश जारी करने के लिए क्रियाविधि आरंभ करके ।

(14ग) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (14ख) के अधीन बनाई गई स्कीम को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के कोई उपबंध ऐसे अपवादों, उपांतरणों और अनुकूलनों के साथ या उनके बिना लागू होंगे जैसे अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं :

परन्तु कोई भी निदेश 31 मार्च, 2022 के पश्चात् जारी नही किया जाएगा ।

(14घ) उपधारा (14ख) और उपधारा (14ग) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी ।";

(XXVI) धारा 151 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा 1 नवंबर, 2020 से अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"निर्धारण से बचने वाली आय का पहचान विहीन निर्धारण ।

151क. (1) केंद्रीय सरकार, धारा 147 के अधीन निर्धारण, पुन: निर्धारण या पुन: संगणना अथवा धारा 148 के अधीन नोटीस जारी करने या धारा 151 के अधीन ऐसा नोटिस जारी करने को स्वीकृती देने के प्रयोजनों के लिए

राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक स्कीम बना सकेगी, जिससे निम्नलिखित द्वारा अधिक दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही प्रदान की जा सके--

(क) प्रौद्योगिकी रूप से संभाव्य होने की सीमा तक आय-कर प्राधिकारी और निर्धारिती या अन्य व्यक्ति के बीच अंतरपृष्ठ हटा कर ;

(ख) पैमाने की अर्थव्यवस्था और कार्यात्मक विशेषज्ञीकरण के माध्यम से संसाधनों के उपयोग को अनुकूलतम करके ;

(ग) गतिशील अधिकारिता के साथ टीम आधारित नोटिस का निर्धारण, पुन: निर्धारण, पुन: गणना या जारी करना या स्वीकृति देना आरंभ करके ।

(2) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (1) के अधीन बनाई गई स्कीम को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के कोई उपबंध ऐसे अपवादों, उपांतरणों और अनुकूलनों के साथ या उनके बिना लागू होंगे, जैसे अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं :

परन्तु कोई भी निदेश 31 मार्च, 2022 के पश्चात् जारी नही किया जाएगा ।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी ।";

(XXVII) धारा 157 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा 1 नवंबर, 2020 से अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् : —

"नोटिस या सूचना का पहचान विहीन सुधार, संशोधन और जारी करना ।

157क. (1) केंद्रीय सरकार, धारा 154 के अधीन किसी अभिलेख से प्रकट किसी त्रुटि के सुधार अथवा धारा 155 के अधीन अन्य संशोधनों या धारा 156 के अधीन मांग का नोटिस जारी करने अथवा धारा 157 के अधीन हानि की सूचना देने के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक स्कीम बना सकेगी, जिससे निम्नलिखित द्वारा अधिक दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही प्रदान की जा सके—

(क) प्रौद्योगिकी रूप से संभाव्य होने की सीमा तक आय-कर प्राधिकारी और निर्धारिती यह अन्य व्यक्ति के बीच अंतरपृष्ठ हटा कर ;

(ख) पैमाने की अर्थव्यवस्था और कार्यात्मक विशेषज्ञीकरण के मध्यम से संसाधनों के उपयोग को अनुकूलतम करके ;

(ग) गतिशील अधिकारिता के साथ टीम आधारित त्रुटि के सुधार, अन्य संशोधन, मॉग का नोटिस जारी करने या हानि की सूचना देना आरंभ करके ।

(2) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (1) के अधीन बनाई गई स्कीम को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के कोई उपबंध ऐसे अपवादों, उपांतरणों और अनुकूलनों के साथ या उनके बिना लागू होंगे, जैसे अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं :

परन्तु कोई भी निदेश 31 मार्च, 2022 के पश्चात् जारी नही किया जाएगा ।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी ।";

(XXVIII) धारा 196घ में, उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा 1 नवंबर, 2020 से अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् : —

"(1क) जहां धारा 115 कघ की उपधारा (1) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट प्रतिभूतियों के संबंध में कोई आय, जो धारा 194 ठघ में निर्दिष्ट ब्याज से आय नहीं है, (धारा 10 के खण्ड (4घ) के स्पष्टीकरण के खंड (ग) में निर्दिष्ट) विनिर्दिष्ट निधि को संदेय है, संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति संदाय पाने वाले के खाते में ऐसी आय के प्रत्यय के समय अथवा किसी अन्य ढंग से उसके संदाय के समय, जो भी पूर्वतर हो, उस पर दस प्रतिशत की दर से आय-कर की कटौती करेगा :

परन्तु धारा 10 के खण्ड (4घ) के अधीन छूट प्राप्त आय के सम्बध में कोई कटौती नहीं की जाएगी ।";

(XXIX) धारा 197क के पश्चात्, निम्नलिखित धारा 14 मई, 2020 से अंत:स्थापित की जाएगी और अंत:स्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात् :—

"सीमित अवधि के लिए कतिपय मामलों में कम कटौती ।

197ख. धारा 193, धारा 194, धारा 194क, धारा 194ग, धारा 194घ, धारा 194घक, धारा 194ड.ड., धारा 194च, धारा 194छ, धारा 194ज, धारा 194झ, धारा 194झक, धारा 194झख, धारा 194झग, धारा 194ञ, धारा 194ट, धारा 194ठक, धारा 194ठखक की उपधारा (1), धारा 194 ठखख का खण्ड (i), धारा 194 ठखग की उपधारा (1), धारा 194ड और धारा 194ण के उपबंधों में 14 मई, 2020 से आरंभ होने वाली अवधि से 31 मार्च, 2021 तक के दौरान स्त्रोत पर कर कटौती की अपेक्षा के मामले में, इन धाराओं में किसी बात के होते हुए भी, कर की कटौती इन धाराओं में विनिर्दिष्ट दर की तीन चौथाई दर पर की जाएगी ।";

(XXX) धारा 206ग में, उपधारा (10) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा 14 मई, 2020 से अंत:स्थापित की जाएगी और अंत:स्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात् : —

"(10क) सारणी में क्रम संख्याक (i) पर निर्दिष्ट माल के सिवाय) उपधारा (1), उपधारा (1ग), उपधारा (1च) या उपधारा (1ज) के उपबंधों में 14 मई, 2020 से आरंभ होने वाली अवधि से 31 मार्च, 2021 तक के दौरान स्त्रोत पर कर संग्रहण की अपेक्षा के मामले में, इन उपधाराओं में किसी बात के होते हुए भी, कर की कटौती इन उपधाराओं में विनिर्दिष्ट दर की तीन चौथाई दर पर की जाएगी ।";

(XXXI) धारा 230 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा 1 नवंबर, 2020 से अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् : —

कर का पहचान विहीन संग्रहण और वसूली ।

"231. (1) केन्द्रीय सरकार, धारा 197 के अधीन आय-कर की कम दरों पर कटौती या आय-कर की कोई कटौती नही होने के लिए प्रमाणपत्र जारी करने अथवा धारा 201 की उपधारा (1) या धारा 206ग की उपधारा (6क) के अधीन किसी व्यक्ति को व्यतिक्रमी निर्धारिती समझने या धारा 206ग की उपधारा (9) के अधीन कर के कम संग्रहण के लिए प्रमाणपत्र जारी करने या धारा 210 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन आदेश अथवा संशोधित आदेश जारी करने या धारा 220 की उपधारा (2क) के अधीन निर्धारिती द्वारा संदत्त या संदेय ब्याज की रकम में कमी या उससे छूट देने या उपधारा (3) के अधीन संदाय के लिए समय बढाने अथवा संदाय किस्तों में देना अनुज्ञात करने या उपधारा (6) अथवा उपधारा (7) के अधीन निर्धारिती को व्यतिक्रमी ना होने के रूप में व्यवहार करने या धारा 221 के अधीन शास्ति के उद्ग्रहण अथवा धारा 222 के अधीन कर वसूली अधिकारी द्वारा प्रमाणपत्र के आहरण अथवा धारा 223 के अधीन कर वसूली अधिकारी की अधिकारिता या धारा 225 के अधीन कर वसूली अधिकारी द्वारा उसके प्रमाणपत्र या संशोधन या निरस्तीकरण के अनुसरण में कार्यवाहियों को रोकने अथवा धारा 226 के अधीन वसूली के अन्य ढंग अथवा धारा 230 के अधीन कर निकासी प्रमाणपत्र जारी करने के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक स्कीम बना सकेगी, जिससे निम्नलिखित द्वारा अधिक दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही प्रदान की जा सके—

(क) प्रौद्योगिकी रूप से संभाव्य होने की सीमा तक आय-कर प्राधिकारी और निर्धारिती या अन्य व्यक्ति के बीच अंतरपृष्ठ हटा कर ;

(ख) पैमाने की अर्थव्यवस्था और कार्यात्मक विशेषज्ञीकरण के माध्यम से संसाधनों के उपयोग को अनुकूलतम करके ;

(ग) गतिशील अधिकारिता के साथ कम दर पर या बिना कोई कटौती के लिए आय-कर की कटौती या संग्रहण के लिए टीम आधारित प्रमाणपत्र जारी करना आरंभ करके या किसी व्यक्ति को व्यतिक्रमी निर्धारिती समझने के लिए अथवा आदेश या संशोधित आदेश पारित करके या संदाय का समय बढाकर अथवा किस्तो में संदाय अनुज्ञात करके या ब्याज में कमी या उसमें छुट देकर अथवा निर्धारिती को व्यतिक्रमी ना होना समझने के लिए या शास्ति का उद्ग्रहण करके अथवा प्रमाणपत्र का आहरण या प्रमाणपत्र के अनुसरण में कार्यवाहीयों को रोक कर और उसके संशोधन या निरस्तीकरण द्वारा या कर वसूली अधिकारी की अधिकारिता अथवा वसूली के अन्य ढंग या कर निकासी प्रमाणपत्र जारी करके ।

(2) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (1) के अधीन बनाई गई स्कीम को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के कोई उपबंध ऐसे अपवादों, उपांतरणों और अनुकूलनों के साथ या उनके बिना लागू होंगे जैसा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए :

परन्तु कोई भी निदेश 31 मार्च, 2022 के पश्चात् जारी नही किया

जाएगा ।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी ।";

(XXXII) धारा 253 में, —

(क) उपधारा (1) के खण्ड (ग) में,—

(i) "धारा 12कक या धारा 12कख के अधीन" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, "धारा 12कक के अधीन" शब्द, अंक और अक्षर 1 जून, 2020 से रखे जाएंगे ;

(ii) इस प्रकार प्रतिस्थापित "धारा 12कक के अधीन" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, "धारा 12कक या धारा 12कख के अधीन" शब्द, अंक और अक्षर 1 अप्रैल, 2021 से रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (7) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं 1 नवंबर, 2020 से अंत:स्थापित की जाएंगीं, अर्थात् :—

"(8) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (2) के अधीन अपील अधिकरण को अपील करने के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक स्कीम बना सकेगी, जिससे निम्नलिखित द्वारा अधिक दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही प्रदान की जा सके—

(क) पैमाने की अर्थव्यवस्था और कार्यात्मक विशेषज्ञीकरण के माध्यम से संसाधनों के उपयोग को अनुकूलतम करके ;

(ख) गतिशील अधिकारिता के साथ अपील अधिकरण को अपील के लिए टीम आधारित तंत्र आरंभ करके ।

(9) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (8) के अधीन बनाई गई स्कीम को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के कोई उपबंध ऐसे अपवादों, उपांतरणों और अनुकूलनों के साथ या उनके बिना लागू होंगे जैसा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए :

परन्तु कोई भी निदेश 31 मार्च, 2022 के पश्चात् जारी नही किया जाएगा ।

(10) उपधारा (8) और उपधारा (9) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी ।";

(XXXIII) धारा 263 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 1 के खण्ड (ख) और स्पष्टीकरण 2 में "प्रधान" शब्द के पश्चात्, "मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान" शब्द 1 नवंबर, 2020 से अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(XXXIV) धारा 264 की उपधारा (1) में, उपधारा (2) में, उपधारा (3) के

परन्तुक में, उपधारा (4) में, स्पष्टीकरण 1 और स्पष्टीकरण 2 में "प्रधान" शब्द के पश्चात्, "मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान" शब्द 1 नवंबर, 2020 से अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(XXXV) धारा 264 के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं 1 नवंबर, 2020 से अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :–

आदेशों का पहचान विहीन पुनरीक्षण ।

"264क. (1) केन्द्रीय सरकार, धारा 263 या धारा 264 के अधीन आदेशों के पुनरीक्षण के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक स्कीम बना सकेगी, जिससे निम्नलिखित द्वारा अधिक दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही प्रदान की जा सके–

(क) प्रौद्योगिकी रूप से संभाव्य होने की सीमा तक आय-कर प्राधिकारी और निर्धारिती यह अन्य व्यक्ति के बीच अंतरपृष्ठ हटा कर ;

(ख) पैमाने की अर्थव्यवस्था और कार्यात्मक विशेषज्ञीकरण के मध्यम से संसाधनों के उपयोग को अनुकूलतम करके ;

(ग) गतिशील अधिकारिता के साथ टीम आधारित आदेशों का पुनरीक्षण आरंभ करके ।

(2) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (1) के अधीन बनाई गई स्कीम को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के कोई उपबंध ऐसे अपवादों, उपांतरणों और अनुकूलनों के साथ या उनके बिना लागू होंगे जैसा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए :

परन्तु कोई भी निदेश 31 मार्च, 2022 के पश्चात् जारी नही किया जाएगा ।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी ।

आदेशों का पहचान विहीन प्रभाव ।

264ख. (1) केन्द्रीय सरकार, धारा 250, धारा 254, धारा 260, धारा 262, धारा 263 या धारा 264 के अधीन आदेश को प्रभावी करने के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक स्कीम बना सकेगी, जिससे निम्नलिखित द्वारा अधिक दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही प्रदान की जा सके–

(क) प्रौद्योगिकी रूप से संभाव्य होने की सीमा तक आय-कर प्राधिकारी और निर्धारिती यह अन्य व्यक्ति के बीच अंतरपृष्ठ हटा कर ;

(ख) पैमाने की अर्थव्यवस्था और कार्यात्मक विशेषज्ञीकरण के मध्यम से संसाधनों के उपयोग को अनुकूलतम करके ;

(ग) गतिशील अधिकारिता के साथ आदेशों का टीम आधारित प्रभाव देना आरंभ करके ।

(2) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (1) के अधीन बनाई गई स्कीम को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी

कि इस अधिनियम के कोई उपबंध ऐसे अपवादों, उपांतरणों और अनुकूलनों के साथ या उनके बिना लागू होंगे जैसे अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं :

परन्तु कोई भी निदेश 31 मार्च, 2022 के पश्चात् जारी नही किया जाएगा ।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी ।";

(XXXVI) धारा 271ट का लोप किया जाएगा और 1 जून, 2020 से लोप किया गया समझा जाएगा ;

(XXXVII) धारा 271ट के पश्चात्, निम्नलिखित धारा 1 अप्रैल, 2021 से अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

विवरण आदि देने में असफलता के लिए शास्ति ।

"271ट. इस अधिनियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निर्धारण अधिकारी यह निदेश दे सकेगा कि दस हजार रुपये से अन्यून राशि, किंतु जिसे एक लाख रुपये तक बढाया जा सकेगा,

(i) धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) में निर्दिष्ट अनुसंधान संगम, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था या खण्ड (iiक) में निर्दिष्ट कंपनी द्वारा संदत्त की जाएगी, यदि वह उस धारा की उपधारा (1क) के खण्ड (i) के अधीन विहित समय सीमा के भीतर विवरण परिदत्त करने या करवाने में या खण्ड (ii) के अधीन विहित प्रमाणपत्र देने में असफल रहेगा ; या

(ii) संस्था या निधि द्वारा संदत्त की जाएगी, यदि वह धारा 80छ की उपधारा (5) के खण्ड (viii) के अधीन विहित समयसीमा के भीतर विवरण परिदत्त करने या करवाने में, या उक्त उपधारा के खंण्ड (ix) के अधीन विहित प्रमाणपत्र देने में असफल रहेगी ।";

(XXXVIII) धारा 274 की उपधारा (2क) के खण्ड (क) में, "निर्धारण अधिकारी और कार्यवाहियों के दौरान निर्धारिती" शब्दों के स्थान पर, "आय-कर प्राधिकारी और निर्धारिती या कोई अन्य व्यक्ति" शब्द रखे जाएंगे और 1 अप्रैल, 2020 से रखे गए समझे जाएंगे ;

(XXXIX) धारा 279 की उपधारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं 1 नवंबर, 2020 से अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"(4) केंद्रीय सरकार, उपधारा (1) के अधीन स्वीकृति अनुदत्त करने या उपधारा (2) के अधीन शमन करने के प्रयोजनों के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक स्कीम बना सकेगी, जिससे निम्नलिखित द्वारा अधिक दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही प्रदान की जा सके—

(क) प्रौद्योगिकी रूप से संभाव्य होने की सीमा तक आय-कर प्राधिकारी और निर्धारिती यह अन्य व्यक्ति के बीच अंतरपृष्ठ हटा कर;

(ख) पैमाने की अर्थव्यवस्था और कार्यात्मक विशेषज्ञीकरण के

मध्यम से संसाधनों के उपयोग को अनुकूलतम करके;

(ग) गतिशील अधिकारिता के साथ टीम आधारित स्वीकृति या अपराधों का शमन आरंभ करके ।

(5) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (3क) के अधीन बनाई गई स्कीम को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के कोई उपबंध ऐसे अपवादों, उपांतरणों और अनुकूलनों के साथ या उनके बिना लागू होंगे, जैसे अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं :

परन्तु कोई भी निदेश 31 मार्च, 2022 के पश्चात् जारी नही किया जाएगा ।

(6) उपधारा (3क) और उपधारा (3ख) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी ।";

(XXXX) आय-कर अधिनियम की धारा 293ग के पश्चात्, निम्नलिखित धारा 1 नवंबर, 2020 से अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

रजिस्ट्रीकरण का पहचान विहीन अनुमोदन ।

"293घ. (1) केंद्रीय सरकार, अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन आय-कर प्राधिकारी द्वारा, यथास्थिति, अनुमोदन या रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक स्कीम बना सकेगी, जिससे निम्नलिखित द्वारा अधिक दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही प्रदान की जा सके—

(क) प्रौद्योगिकी रूप से संभाव्य होने की सीमा तक आय-कर प्राधिकारी और निर्धारिती यह अन्य व्यक्ति के बीच अंतरपृष्ठ हटा कर;

(ख) पैमाने की अर्थव्यवस्था और कार्यात्मक विशेषज्ञीकरण के मध्यम से संसाधनों के उपयोग को अनुकूलतम करके;

(ग) गतिशील अधिकारिता के साथ टीम आधारित अनुमोदन या रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त करके ।

(2) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (1) के अधीन बनाई गई स्कीम को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के कोई उपबंध ऐसे अपवादों, उपांतरणों और अनुकूलनों के साथ या उनके बिना लागू होंगे, जैसे अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं :

परन्तु कोई भी निदेश 31 मार्च, 2022 के पश्चात् जारी नही किया जाएगा ।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी ।"।

अध्याय 4

प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम का संशोधन

2020 के अधिनियम 3 की धारा 3 का संशोधन ।

5. प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 की धारा 3 में,—

(क) आरंभिक भाग में, "इस अधिनियम के अधीन अंतिम तारीख को या उससे पूर्व" शब्दों के स्थान पर, "इस अधिनियम के अधीन ऐसी तारीख को या उसके पूर्व, जो अधिसूचित की जाए" शब्द रखे जाएंगे और रखे गए समझे जाएंगे ;

(ख) सारणी में, —

(i) तीसरे स्तंभ में, शीर्षक में, "31 मार्च, 2020" अंकों और शब्द के स्थान पर, "31 दिसंबर, 2020 या ऐसी पश्चातवर्ती तारीख जो अधिसूचित की जाए" अंक और शब्द रखे जाएंगे और 31 मार्च, 2020 से रखे गए समझे जाएंगे ;

(ii) चौथे स्तंभ में, शीर्षक में, "1 अप्रैल, 2020" अंकों और शब्द के स्थान पर, "1 जनवरी, 2021 या ऐसी पश्चातवर्ती तारीख जो अधिसूचित की जाए" अंक और शब्द रखे जाएंगे रखे गए समझे जाएंगे ।

अध्याय 5

कतिपय अप्रत्यक्ष कर विधियों के अधीन समय-सीमा का शिथिलीकरण

केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और वित्त अधिनियम, 1994 के अधीन समय-सीमा का शिथिलीकरण ।

6. केंद्रीय उत्पाद--शुल्क अधिनियम, 1944 में किसी बात के होते हुए भी, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962, (धारा 30, धारा 30क, धारा 41, धारा 41क, धारा 46 और धारा 47 के सिवाय), सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय 5 में, जैसा वह केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 173 द्वारा, 1 जुलाई, 2017 से उसका लोप किए जाने के पूर्व विद्यमान था, किसी बात के होते हुए भी, उक्त अधिनियमों में विनिर्दिष्ट या उनके अधीन विहित या अधिसूचित समय-सीमा, जो 20 मार्च, 2020 से 29 सितंबर, 2020 तक की या 29 सितंबर, 2020 के पश्चात् ऐसी किसी अन्य कार्रवाई को पूरा करने या उसके अनुपालन के लिए अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, अवधि के दौरान आती है, जैसे—

1944 का 1
1962 का 52
1975 का 51
1994 का 32
2017 का 12

(क) किसी प्राधिकरण, आयोग, अधिकरण द्वारा, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, किसी कार्यवाही को पूरा करना या कोई आदेश, नोटिस, सूचना, अधिसूचना या मंजूरी या अनुमोदन जारी करना, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो ; या

(ख) कोई अपील, उत्तर या आवेदन फाइल करना या कोई रिपोर्ट, दस्तावेज, विवरणी या कथन, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, प्रस्तुत करना,

इस बात के होते हुए भी कि कार्रवाई को ऐसी समय-सीमा के भीतर पूरा किया जाए या उसका अनुपालन किया जाए, 30 सितंबर, 2020 या 30 सितंबर, 2020 के पश्चात् ऐसी अन्य तारीख तक, जो केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, विस्तारित हो जाएगी :

परंतु केंद्रीय सरकार, खंड (क) या खंड (ख) के अधीन भिन्न-भिन्न कार्रवाइयों को पूरा करने या उसके अनुपालन के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें विनिर्दिष्ट कर सकेगी ।

अध्याय 6

केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 का संशोधन

7. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 168 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :— 2017 के अधिनियम सं0 12 में नई धारा 168क का अंत:स्थापन ।

"168क. (1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, सरकार, अधिसूचना द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर, ऐसी कार्रवाइयों के संबंध में, जो असाधारण घटना के कारण पूर्ण नहीं की जा सकती हैं या जिनका पालन नहीं किया जा सकता है, इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट या उसके अधीन विहित या अधिसूचित समय-सीमा को बढ़ा सकेगी । केंद्रीय सरकार की विशेष परिस्थितियों में समय-सीमा बढ़ाने की शक्ति ।

(2) उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी करने की शक्ति में, उस तारीख से, जो इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पहले की न हो, ऐसी अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने की शक्ति भी सम्मिलित है ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए "असाधारण घटना" पद से युद्ध, महामारी, बाढ़, सूखा, आग, चक्रवात, भूकम्प या प्राकृतिक कारणों से या इस अधिनियम के क्रियान्वयन को अन्यथा प्रभावित करने वाली कोई अन्य आपदा अभिप्रेत है ।"।

अध्याय 7

वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2019 का संशोधन

8. वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2019 की धारा 127 में,— 2019 के अधिनियम सं0 23 का धारा 17 का संशोधन ।

(i) उपधारा (1) में, "उक्त घोषणा की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के भीतर" शब्दों के स्थान पर, "31 मई, 2020 को या उसके पहले" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (2) में, "घोषणा की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर" शब्दों के स्थान पर, "1 मई, 2020 को या उसके पहले" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(iii) उपधारा (4) में, "घोषणा की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के भीतर" शब्दों के स्थान पर, "31 मई, 2020 को या उसके पहले" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(iv) उपधारा (5) में, "ऐसा विवरण जारी किए जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर" शब्दों के स्थान पर, "30 जून, 2020 को या उसके पहले" शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

अध्याय 8

वित्त अधिनियम, 2020 का संशोधन

9. वित्त अधिनियम, 2020 की धारा 2 में, 1 अप्रैल, 2020 से,— 2020 के अधिनियम सं. 12 का संशोधन ।

(i) उपधारा (6) में, —

(अ) खण्ड (क) में, "जो अनिवासी है" शब्दों के स्थान पर, "आय-कर अधिनियम की धारा 196घ के अधीन लाभांश के माध्यम से आय पर कटौती के मामले के सिवाय" शब्द रखे जाएंगे और रखे गए समझे जाएंगे ;

(आ) खण्ड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जाएगा और अंत:स्थापित किया गया समझा जाएगा :–

"(कक) प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति संगम या व्यष्टि निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नही, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (31) के उपखण्ड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो अनिवासी है, उस अधिनियम की धारा 196घ के अधीन लाभांश के माध्यम से आय पर कटौती की दशा में,—

(i) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौती के अधीन रहते हुए पचास लाख रुपये से अधिक है, किंतु एक करोड रुपये से अधिक नही है, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौती के अधीन रहते हुए एक करोड रुपये से अधिक है, ऐसे कर के पंद्रह प्रतिशत की दर से ;

संगणित की जाएगी ।

(ii) उपधारा (9) के तीसरे परंतुक के खण्ड (कक) में,—

(अ) उपखण्ड (iii) में, "आय-कर अधिनियम" शब्दों के स्थान पर, "लाभांश के माध्यम से आय या आय-कर अधिनियम" शब्द रखे जाएंगे और रखे गए समझे जाएंगे ;

(आ) उपखण्ड (iv) में, "आय-कर अधिनियम" शब्दों के स्थान पर, "लाभांश के माध्यम से आय या आय-कर अधिनियम" शब्द रखे जाएंगे और रखे गए समझे जाएंगे ;

(इ) उपखण्ड (v) में, "आय-कर अधिनियम" शब्दों के स्थान पर, "लाभांश के माध्यम से आय या आय-कर अधिनियम" शब्द रखे जाएंगे और रखे गए समझे जाएंगे ;

(ई) परन्तुक में, "आय-कर अधिनियम" शब्दों के स्थान पर, "लाभांश के माध्यम से आय या आय-कर अधिनियम" शब्द रखे जाएंगे और रखे गए समझे जाएंगे ।

कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति ।

10. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो, केन्द्रीय सरकार, ऐसे आदेश द्वारा, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत ना हो, उस कठिनाई को दूर कर सकेगी :

परन्तु ऐसा कोई आदेश उस मास के अंत से जिसमें यह अधिनियम राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करता है, दो वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् नही किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

2020 का 5 अध्यादेश सं. 2

निरसन और व्यावृत्तियां ।

11. (1) कराधान और अन्य विधि (कतिपय उपबंधों में छूट देना) अध्यादेश, 2020 को निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात, जारी कोई अधिसूचना या की गई कोई कार्रवाई, इस अध्यादेश के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई या जारी की गई समझी जाएगी ।

437LAW—3

उद्देश्यों और कारणों का कथन

भारत सहित विश्व के बहुत से देशों में, नोवल करोना वायरस (कोविड--19) महामारी फैलने से मानव जीवन की अत्यधिक हानि हुई है और इससे देश में अभूतपूर्व मानवीय और आर्थिक कठिनाइयां उत्पन्न हुई है । महामारी की अनियमितता के कारण राष्ट्रीय लाकडाऊन (संपूर्ण बंदी) लागू किया गया था, जिसका आगे और विस्तार करना पड़ा था । महामारी के तीव्र प्रसार के कारण, संपूर्ण समाज को तत्काल उसके भीषण परिणामों से बचाने के लिए सामाजिक दूरी को सुनिश्चित करना था । इससे कतिपय कर और अन्य विधियों की अनुपालना की अपेक्षाओं में ढ़ील देने की आवश्यकता पड़ी ।

2. चूंकि संसद् सत्र में नहीं थी और अत्यावश्यकता को ध्यान में रखते हुए, 31 मार्च, 2020 को कराधान और अन्य विधि (कतिपय उपबंधों में छूट देना) अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश सं0 2) प्रख्यापित किया गया था, जिसने, अन्य बातों के साथ--साथ, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर और बेनामी संपत्ति संव्यवहार प्रतिषेध से संबंधित विनिर्दिष्ट अधिनियमों के कतिपय उपबंधों को शिथिल किया था । इसके अतिरिक्त, उक्त अध्यादेश के अधीन कतिपय अधिसूचनाएं भी जारी की गई थी ।

3. वित्त अधिनियम, 2020 के अधिनियमित हो जाने के पश्चात् पणधारियों से प्राप्त अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए और कतिपय अधिनियमों के कुछ उपबंधों को और व्यवस्थित करने की आवश्यकता के कारण, अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने वाले, प्रस्तावित विधेयक में और संशोधन करने की आवश्यकता महसूस की गई है ।

4. कराधान और अन्य विधि (कतिपय उपबंधों का शिथिलीकरण और संशोधन) विधेयक, 2020 में, जो उक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए है, अन्य बातों के साथ--साथ, विनिर्दिष्ट अधिनियमों के अधीन कार्रवाइयों को पूरा करने या उनके अनुपालन के लिए भिन्न--भिन्न समय सीमाओं के विस्तार का, और ब्याज को घटाने, शास्तियों का अधित्यजन और विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान कतिपय करों या उद्ग्रहणों के संदाय में विलंब के लिए अभियोजन के बारे में उपबंध है ।

5. इसके अतिरिक्त, विधेयक में आय-कर अधिनियम, 1961 के संशोधन का प्रस्ताव है, जिसमें, अन्य बातों के साथ--साथ, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र के लिए विदेशी विधियों के पुनःस्थापन को प्रोत्साहित करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में स्थित प्रवर्ग 3 की वैकल्पिक विनिधान निधियों के लिए कर प्रोत्साहन का उपबंध करना, वित्त अधिनियम, 2020 के माध्यम से पुरःस्थापित कतिपय इकाइयों के रजिस्ट्रीकरण और अनुमोदन की नई प्रक्रिया का आस्थगन, आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष (पीएम केयर्स फंड) में किए गए दान के लिए कटौती और उसकी आय में छूट का उपबंध करना, उसमें पहचान विहीन निर्धारण स्कीम, 2019 को समाविष्ट करना, प्रौद्योगिकीय रूप से साध्य विस्तार तक भौतिक इंटरफेस को समाप्त करके कतिपय उपबंधों के अधीन पहचान विहीन प्रक्रिया हेतु स्कीमें अधिसूचित करने और कतिपय संव्यवहारों के संबंध में 14 मई,

2020 से 31 मार्च, 2021 तक की अवधि के लिए तीन--चौथाई दर पर स्रोत पर कटौती या संग्रहण का उपबंध करने हेतु केंद्रीय सरकार को सशक्त करने का उपबंध सम्मिलित है ।

6. विधेयक में, प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 के संशोधन का भी, बिना अतिरिक्त रकम के संदाय के लिए तारीख को 31 मार्च, 2020 तक बढ़ाए जाने के लिए तथा घोषणा फाइल करने और भुगतान करने से संबंधित कतिपय तारीखों को अधिसूचित करने हेतु केंद्रीय सरकार को सशक्त करने के लिए, प्रस्ताव है ।

7. विदेशी पोर्टफोलियो विनिधाता की लाभांश आय पर पन्द्रह प्रतिशत की दर पर उपकर लगाए जाने के संबंध में स्पष्ट करने हेतु वित्त अधिनियम, 2020 का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है ।

8. विधेयक में, कराधान और अन्य विधि (कतिपय उपबंधों में छूट देना) अध्यादेश, 2020 में किसी कठिनाई को दो वर्ष तक दूर करने के लिए केंद्रीय सरकार को सशक्त करने तथा निरसन और व्यावृत्तियों का उपबंध करने का भी प्रस्ताव है ।

9. विधेयक, पूर्वोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए है ।

नई दिल्ली ;
11 सितंबर, 2020

निर्मला सीतारामन

वित्तीय ज्ञापन

यह विधेयक कराधान और अन्य विधियां (कतिपय उपबंधों को छूट देना) अध्यादेश, 2020 को प्रतिस्थापित करने के लिए और आय-कर अधिनियम, 1961, केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017, वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2019, प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 और वित्त अधिनियम, 2020 का और संशोधन करने के लिए है, जिनको राजस्व विभाग द्वारा दो बोर्डों, अर्थात् केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा लागू किया जाता है । अतः, विधेयक के अधिनियमन पर कोई अतिरिक्त व्यय संभाव्य नहीं है ।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक का खंड 4, आय-कर अधिनियम, 1961 से संबंधित कतिपय उपबंधों का संशोधन करने के लिए है ।

धारा 10 के खंड (4घ) का प्रस्तावित संशोधन विहित रीति में अनिवासी की आय की संगणना के लिए उपबंध करता है ।

धारा 10 के खंड (23ग) का प्रस्तावित संशोधन निधियों या न्यास या संस्था अथवा किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्थाओं या किसी चिकित्सालय अथवा अन्य चिकित्सा संस्थाओं के अनुमोदन के लिए आवेदन हेतु बोर्ड को प्ररूप और रीति विहित करने के लिए सशक्त करता है ।

नई धारा 12कख का प्रस्तावित संशोधन, जो नए रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रक्रिया से संबंधित है, बोर्ड को नियमों द्वारा वह प्ररूप और रीति उपबंधित करने के लिए सशक्त करता है, जिसमें उक्त उपधारा के अधीन आदेश पारित किया जाएगा ।

धारा 35 का प्रस्तावित संशोधन उपधारा (1) में नया परंतुक अंत:स्थापित करने के लिए है, जो बोर्ड को नियमों द्वारा वह प्ररूप और रीति विहित करने के लिए सशक्त करता है, जिसमें विहित प्राधिकारी को शोध संगम, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या कंपनी द्वारा सूचित किया जाएगा ।

धारा 80छ की उपधारा (5) का प्रस्तावित संशोधन बोर्ड को नियमों द्वारा विवरण, समयावधि, सत्यापन का प्ररूप और रीति, विशिष्टियां और उक्त विवरण में दी गई जानकारी में किसी गलती को सुधारने के लिए संशोधन विवरण के परिदान का उपबंध करने के लिए सशक्त करता है । यह बोर्ड को संदान के प्रमाणपत्र के लिए रीति, विशिष्टियां और समय के संबंध में नियम बनाने के लिए भी सशक्त करता है ।

धारा 115कघ में प्रस्तावित उपधारा (1क) का अंत:स्थापन उस आय की संगणना के लिए है, जो विहित रीति में अनिवासी द्वारा धारित यूनिटों से संबंधित है ।

वे विषय, जिनकी बाबत नियम बनाए जा सकेंगे, प्रक्रिया और प्रशासनिक ब्यौरे के विषय हैं और उनके लिए स्वयं विधेयक में उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है । इसलिए विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।

उपाबंध

आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का अधिनियम संख्यांक 43) से उद्धरण

* * * * * *

भारत में निवास।

6. इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए—

(1) कोई व्यष्टि किसी पूर्ववर्ष में भारत में निवासी तब कहा जाता है जब कि वह—

* * * * * *

(ग) उस वर्ष के पूर्ववर्ती चार वर्षों के अन्दर कुल मिलाकर तीन सौ पैंसठ या अधिक दिनों की कालावधि या कालावधियों तक भारत में होते हुए, उस वर्ष कुल मिलाकर साठ या अधिक दिनों की कालावधि या कालावधियों तक भारत में रहा है।

स्पष्टीकरण—(1)] ऐसे व्यष्टि की दशा में,—

* * * * * *

(ख) जो भारत का नागरिक है, या धारा 115ग के खंड (ङ) के स्पष्टीकरण के अर्थ में भारतीय उद्भव का व्यक्ति है, जो भारत के बाहर रहते हुए किसी पूर्ववर्ष में भारत में आता है, उपखंड (ग) के उपबंध उस वर्ष के संबंध में इस प्रकार लागू होंगे मानो उसमें आने वाले, "साठ दिन" शब्दों के स्थान पर एक सौ बयासी दिन शब्द रखे गए हों।

* * * * * *

(1क) खंड (1) में किसी बात के होते हुए भी, किसी व्यष्टि को, जो भारत का नागरिक है, किसी पूर्ववर्ष में भारत में निवासी होना समझा जाएगा, यदि वह अधिवास या निवास या समान प्रकृति के किसी अन्य मानदंड के कारण किसी अन्य देश या राज्यक्षेत्र में कर का दायी नहीं है।

* * * * * *

(6) किसी व्यक्ति के बारे में यह बात कि वह किसी पूर्ववर्ष में भारत में "मामूली तौर पर निवासी नहीं है" तब कहा जाता है जब वह व्यक्ति,—

(क) ऐसा व्यष्टि है, जो उस वर्ष के पूर्ववर्ती दस पूर्ववर्षों में से नौ वर्षों में भारत में निवासी न रहा हो या उस वर्ष के पूर्ववर्ती सात पूर्ववर्षों के दौरान ऐसी कालावधि या ऐसी कालावधियों तक, जो कुल मिलाकर सात सौ उनतीस दिन या उससे कम की हो, भारत में न रहा हो;

(ख) ऐसा हिन्दू अविभक्त कुटुंब है जिसका कर्ता उस वर्ष के पूर्ववर्ती दस पूर्ववर्षों में से नौ पूर्ववर्षों में भारत में निवासी न रहा हो या उस वर्ष के सात पूर्ववर्षों के दौरान ऐसी कालावधि तक या ऐसी कालावधियों तक, जो कुल मिलाकर सात सौ उनतीस दिन या उससे कम हो, भारत में न रहा हो।

(ग) ऐसा भारत का नागरिक है या भारतीय मूल का कोई व्यक्ति है, जिसकी पूर्ववर्ष के दौरान, खंड (1) के स्पष्टीकरण 1 के खंड (ख) में यथानिर्दिष्ट, विदेशी स्रोत से आय से भिन्न कुल आय पन्द्रह लाख रुपए से अधिक है, जो एक सौ बीस दिन या उससे अधिक, किन्तु एक सौ बयासी दिन से कम की अवधि या समस्त अवधियों के लिए भारत में रहा हो ; या

(घ) ऐसा भारत का नागरिक है, जिसे खंड (1क) के अधीन भारत में निवासी होना समझा गया है।

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "विदेशी स्रोत से आय" से ऐसी आय अभिप्रेत है, जो भारत से बाहर प्रोद्भूत या उद्भूत होती है (भारत में नियंत्रित किसी कारबार या किसी वृत्ति स्थापन से व्युत्पन्न आय के सिवाए)।

* * * * * *

10. किसी व्यक्ति की किसी पूर्ववर्ष की कुल आय संगणित करने में निम्नलिखित खण्डों में से किसी में आने वाली कोई आय उसमें सम्मिलित नहीं की जाएगी— आय जो कुल आय के अन्तर्गत नहीं आती है ।

* * * * * *

"(4घ) किसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में अवस्थित किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में धारा 47 के खंड (viiकख) में निर्दिष्ट किसी पूंजी आस्ति के अंतरण के परिणामस्वरूप किसी विनिर्दिष्ट निधि को व्युत्पन्न या उद्भूत या उसके द्वारा प्राप्त की गई कोई आय और जहां ऐसे संव्यवहार के लिए प्रतिफल को संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में, किसी अनिवासी द्वारा धारित यूनिटों के संबंध में व्युत्पन्न या उद्भूत या प्राप्त ऐसी आय की सीमा तक संदत्त किया गया है या संदेय है ।

स्पष्टीकरण–इस खंड के प्रयोजनों के लिए,-

(क) "संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा" पद से ऐसी विदेशी मुद्रा अभिप्रेत है, जिसे तत्समय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 और तद्धीन बनाए गए नियमों में प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा के रूप में माना जाता है ; 1999 का 42

(ख) "प्रबंधक" पद का वही अर्थ होगा, जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (वैकल्पिक विनिधान निधि) विनियम, 2012 के विनियम (1) के उपविनियम (1) के खंड (थ) में उसका है ; 1992 का 15

* * * * *

(23ग) किसी व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित के निमित्त प्राप्त कोई आय—

(i) प्रधान मंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष; या

* * * * * *

(23चङ) किसी निर्दिख्ट व्यक्ति की भारत में उसके द्वारा किए गए विनिधान से उद्भूत होने वाले लाभांश, ब्याज या दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों की प्रकृति की कोई आय, चाहे वह ऋण के रूप में हो या साम्या के रूप में हो, यदि विनिधान—

* * * * * *

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "विनिर्दिख्ट व्यक्ति" से निम्नलिखित अभिप्रेत है,—

(क) आबू धाबी विनिधान प्राधिकरण की पूर्णतः स्वामित्वाधीन समनुखंगी, जो—

(i) संयुक्त अरब अमीरात का निवासी है ; और

(ii) जो संयुक्त अरब अमीरात की सरकार के स्वामित्वाधीन निधि से प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः विनिधान करता है ;

(ख) ऐसी संप्रभु धन निधि, जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती है, अर्थात् :—

(i) यह विदेशी सरकार के प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः पूर्णतः स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन है ;

(ii) इसे ऐसी विदेशी विधि के अधीन स्थापित किया गया है और विनियमित किया गया है ;

(iii) निधि के अर्जन या तो विदेशी सरकार के लेखे में या उस सरकार द्वारा पदाभिहित किसी अन्य लेखे में जमा किए जाते हैं की अर्जनों का कोई भाग किसी निजी व्यक्ति के फायदे को लागू नहीं होता है ;

(iv) उक्त निधि की आस्ति, विघटन पर विदेशी सरकार में निहित हो जाती है ;

(v) यह कोई वाणिज्यिक क्रियाकलाप, चाहे वह भारत के भीतर हो या भारत से बाहर, नहीं किया करता है ; और

(vi) इसे केंद्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिख्ट किया गया है ;

(ग) कोई पेंशन निधि, जो--

(i) किसी दूसरे देश की विधि, जिसके अंतर्गत उसके राजनैतिक घटकों द्वारा, जो कोई प्रांत, राज्य या स्थानीय निकाय हैं, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हों, द्वारा बनाई गई विधियां हैं, के अधीन सृजित या स्थापित है ;

(ii) ऐसे दूसरे देश में कर की दायी नहीं है ;

(iii) ऐसी अन्य शर्तों को पूरा करती है, जो विहित की जाएं ; और

(iv) केंद्रीय सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट है ;

* * * * * *

कतिपय दशाओं में धारा 11 का लागू न होना ।

13. (1) धारा 11 या धारा 12 में अन्तर्विष्ट किसी बात का इस प्रकार से प्रभाव नहीं होगा जिससे उस व्यक्ति की पूर्ववर्ष की कुल आय में से, जो उसे प्राप्त करता है, निम्नलिखित अपवर्जित हो जाए :—

* * * * * *

स्पष्टीकरण 1—धारा 11, धारा 12, धारा 12क और इस धारा के प्रयोजनों के लिए "न्यास" के अन्तर्गत कोई अन्य विधिक बाध्यता और इस धारा के प्रयोजनों के लिए "संबंधी", व्यष्टि के संबंध में, अभिप्रेत है—

* * * * * *

पात्र परियोजनाओं और स्कीमों पर व्यय ।

35कग. (1) * * * * *

(4) जहां कोई संगम या संस्था, उपधारा (1) के अधीन राष्ट्रीय समिति द्वारा अनुमोदित कर दी जाती है और तत्पश्चात्—

(i) उस समिति का यह समाधान हो जाता है कि परियोजना या स्कीम ऐसी सभी या किन्हीं शर्तों के अनुसार, जिनके अधीन रहते हुए अनुमोदन अनुदत्त किया गया था, कार्यान्वित नहीं की जा रही है; या

(ii) ऐसे संगम या संस्था ने, जिसे अनुमोदन अनुदत्त किया गया है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् राष्ट्रीय समिति को ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियां उपवर्णित करते हुए और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है,

वहां, राष्ट्रीय समिति, संबंधित संगम या संस्था को, अनुमोदन वापस लेने की प्रस्थापना के विरुद्ध कारण दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, किसी भी समय, ऐसे अनुमोदन को वापस ले सकेगी :

परंतु अनुमोदन वापस लेने वाले आदेश की एक प्रति राष्ट्रीय समिति द्वारा उस निर्धारण अधिकारी को, जिसकी संबंधित संगम या संस्था पर अधिकारिता है, अग्रेषित की जाएगी ।

(5) जहां कोई परियोजना या स्कीम, स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अधीन पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में अधिसूचित की गई है और तत्पश्चात्—

(i) राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाता है कि परियोजना या स्कीम ऐसी सभी या किन्हीं शर्तों के अनुसार, जिनके अधीन रहते हुए ऐसी परियोजना या स्कीम अधिसूचित की गई थी, कार्यान्वित नहीं की जा रही है; या

(ii) ऐसी पात्र परियोजना या स्कीम के संबंध में रिपोर्ट, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियां उपवर्णित करते हुए और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, प्रस्तुत नहीं की गई है,

वहां ऐसी अधिसूचना उसी रीति से वापस ली जा सकेगी जिससे वह जारी की गई थी :

परंतु वापस लेने की प्रस्थापना के विरुद्ध कारण दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर, यथास्थिति, संबंधित संगम, संस्था, पब्लिक सेक्टर कंपनी या स्थानीय प्राधिकारी को राष्ट्रीय समिति

437LAW

द्वारा दिया जाएगा :

* * * * * *

(6) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के होते हुए भी, जहां—

(i) किसी संगम या संस्था को अनुदत्त राष्ट्रीय समिति का अनुमोदन उपधारा (4) के अधीन वापस ले लिया जाता है या किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी या स्थानीय प्राधिकारी या किसी संगम या संस्था की दशा में पात्र परियोजना या स्कीम के लिए अधिसूचना उपधारा (5) के अधीन वापस ले ली जाती है; या

(ii) किसी कंपनी ने पात्र परियोजना या स्कीम पर प्रत्यक्ष रूप से उपगत किसी व्यय की बाबत उपधारा (1) के परंतुक के अधीन कटौती का दावा किया है और ऐसी परियोजना या स्कीम के लिए अनुमोदन राष्ट्रीय समिति द्वारा उपधारा (5) के अधीन वापस ले लिया जाता है,

* * * * * *

कतिपय निधियों, पूर्व संस्थाओं आदि को दान की बाबत कटौती ।

80छ. (1) * * * * *

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट राशियां निम्नलिखित होंगी, अर्थात् :—

(क) राशियां जो पूर्ववर्ष में निर्धारिती द्वारा निम्नलिखित को दान के रूप में दी गई है—

* * * * * *

(iiiक) प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत निधि ; या

* * * * * *

विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ताओं की प्रतिभूतियों से अथवा उनके अंतरण से उद्भूत पूंजी अभिलाभों से आय पर कर ।

115कघ. (1) जहां किसी विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता की कुल आय में,—

(क) धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांशों के रूप में आय से भिन्न आय ; या

(ख) ऐसी प्रतिभूतियों के अंतरण से उद्भूत अल्पकालिक या दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय, सम्मिलित है, वहां संदेय आय-कर निम्निलिखित का योग होगा, अर्थात् :—

(i) खंड (क) में निर्दिष्ट प्रतिभूतियों की बाबत आय कर, यदि कोई हो, जो कुल आय में सम्मिलित है, बीस प्रतिशत की दर से परिकलित आय-कर की रकम ;

परन्तु धारा 194ठघ में निर्दिष्ट ब्याज के रूप में आय पर परिकलित आय-कर की रकम पांच प्रतिशत की दर से होगी ;

* * * * * *

(iv) आय-कर की वह रकम जो विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता की दशा में प्रभार्य होती यदि उसकी कुल आय में से खंड (क) और खंड (ख) में निर्दिष्ट आय की रकम घटा दी गई होती ।

(2) जहां विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता की,—

(क) सकल कुल आय केवल उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट प्रतिभूतियों की बाबत आय से मिलकर बनती है वहां उसे धारा 28 से धारा 44ग या धारा 57 के खंड (i) या खंड (iii) के अधीन या अध्याय 6क के अधीन कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ;

(ख) सकल कुल आय में उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट कोई आय सम्मिलित है वहां सकल कुल आय में से ऐसी आय की रकम घटा दी जाएगी और अध्याय 6क के अधीन कटौती अनुज्ञात की जाएगी मानो इस प्रकार घटाकर और सकल कुल आय विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता की सकल कुल आय हो ।

(3) धारा 48 के पहले और दूसरे परंतुकों की कोई बात उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट

प्रतिभूतियों के अंतरण से उद्भूत पूंजी अभिलाभों की संगणना करने के लिए लागू नहीं होगी ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता" पद से ऐसा विनिधानकर्ता अभिप्रेत है जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे ;

(ख) "प्रतिभूति" पद का वही अर्थ है जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (ज) में है । 1956 का 42

* * * * * *

सर्वेक्षण की शक्ति ।

133क. (1) * * * * *

(6) यदि कोई व्यक्ति, जिससे इस धारा के अधीन आय-कर प्राधिकारी को लेखा पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों के निरीक्षण करने के लिए या किसी नकदी, स्टाक या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज की जांच या उसका सत्यापन करने के लिए सुविधा देने की या कोई जानकारी देने की या उसका कथन अभिलिखित कर देने की अपेक्षा की जाती है, वह ऐसा करने से या तो इंकार करता है या अपवंचन करता है तो आय-कर प्राधिकारी को उस अपेक्षा का अनुपालन कराने के लिए धारा 131 की उपधारा (1)] के अधीन सभी शक्तियां होंगी :

"परन्तु—

(क) उस दशा में जहां सूचना ऐसे प्राधिकारी से जो विहित किया जाए प्राप्त हुई है । वहां, यथास्थिति, संयुक्त निदेशक या संयुक्त आयुक्त का अनुमोदन प्राप्त किए बिना सहायक निदेशक या उपनिदेशक या निर्धारण अधिकारी या कर वसूली अधिकारी या आय-कर निरीक्षक द्वारा उपधारा (1) के अधीन कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी :

(ख) किसी अन्य दशा में यथास्थिति, निदेशक या आयुक्त का अनुमोदन अभिप्राप्त किए बिना संयुक्त निदेशक या संयुक्त आयुक्त या सहायक निदेशक या उपनिदेशक या निर्धारण अधिकारी या कर वसूली अधिकारी या आय-कर निरीक्षक द्वारा उपधारा (1) के अधीन कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।"।

स्पष्टीकरण—इस धारा में,—

(क) "आय-कर प्राधिकारी" से अभिप्रेत है कोई आयुक्त, कोई संयुक्त आयुक्त, कोई निदेशक, कोई संयुक्त निदेशक, कोई सहायक निदेशक या कोई उपनिदेशक या कोई निर्धारण अधिकारी या कर वसूली अधिकारी और उपधारा (1) के खंड (i), उपधारा (3) के खंड (i) और उपधारा (5) के प्रयोजनों के लिए इसके अंतर्गत कोई आय-कर निरीक्षक भी है;

* * * * * *

विहित आय-कर प्राधिकारी द्वारा जानकारी मंगाने की शक्ति ।

133ग. (1) * * * * *

(2) जहां कोई जानकारी या दस्तावेज उपधारा (1) के अधीन जारी सूचना के उत्तर में प्राप्त हुई है, वहां विहित आय-कर प्राधिकारी ऐसी जानकारी या दस्तावेज पर कार्रवाई कर सकेगा और निर्धारण अधिकारी को ऐसी कार्यवाही करने का परिणाम उपलब्ध करवा सकेगा ।

(3) बोर्ड, केंद्रीयकृत रूप से सूचना जारी करने के लिए और जानकारी या दस्तावेजों पर कार्यवाही करने और निर्धारण अधिकारी को कार्यवाही का परिणाम उपलब्ध कराने के लिए, कोई स्कीम बना सकेगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा में पद "कार्यवाही" का वही अर्थ होगा जो धारा 133क के स्पष्टीकरण के खंड (ख) में उसे समनुदेशित किया गया है ।

* * * * * *

निर्धारण ।

143. (1) * * * * * *

(3ख) केंद्रीय सरकार, उपधारा (3क) के अधीन बनाई गई स्कीम को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि कुल आय या हानि के निर्धारण से संबंधित इस अधिनियम के उपबंध लागू नहीं होंगे या ऐसे अपवादों, उपांतरणों और अनुकूलनों के साथ लागू होंगे जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं :

परन्तु यह कि, 31 माई, 2020 के पश्चात् कोई निदेश जारी नहीं किया जाएगा ।

(3ग) उपधारा (3क) और उपधारा (3ख) के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना, जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी ।

* * * * * *

राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले आदेशों का पुनरीक्षण ।

263. (1) आयुक्त इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही का अभिलेख मांग सकेगा और उसकी परीक्षा कर सकेगा यदि वह समझता है कि निर्धारण अधिकारी द्वारा उसमें पारित कोई आदेश गलत है जहां तक कि वह राजस्व के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है तो वह निर्धारिती को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् और ऐसी जांच करने या करवाने के पश्चात् जैसी वह आवश्यक समझता है, उस पर ऐसा आदेश, जिसके निर्धारण में वृद्धि या उपांतरण करने या निर्धारण रद्द करने और नए सिरे से निर्धारण का निदेश देने का आदेश भी है, पारित कर सकेगा जैसा कि उस मामले की परिस्थितियों में न्यायोचित हो ।

स्पष्टीकरण—(1) शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए,—

* * * * * *

(ख) "अभिलेख" के अंतर्गत इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही से संबंधित सभी अभिलेख हैं जो आयुक्त द्वारा परीक्षा किए जाने के समय उपलब्ध हों और उनके बारे में यह समझा जाएगा कि वे सदैव से उसके अन्तर्गत थे;

* * * * * *

स्पष्टीकरण 2—इस धारा के प्रयोजनों के लिए घोषित किया जाता है कि निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश को जहां तक वह राजस्व के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है, गलत समझा जाएगा यदि प्रधान आयुक्त या आयुक्त की राय में,—

(क) आदेश ऐसी जांच या सत्यापन के, जो किया जाना चाहिए था बिना पारित किया जाता है;

(ख) आदेश, ऐसी कोई राहत, दावे की जांच किए बिना, अनुज्ञात करते हुए पारित किया गया है;

(ग) आदेश, बोर्ड द्वारा धारा 119 के अधीन जारी किए गए किसी आदेश, निदेश या अनुदेश के अनुसार नहीं किया गया है;

(घ) आदेश, निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति के मामले में, अधिकारिता प्राप्त उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा किए गए ऐसे किसी विनिश्चय, जो निर्धारिती पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है, के अनुसार पारित नहीं किया गया है ।

* * * * * *

अन्य आदेशों का पुनरीक्षण ।

264. (1) आयुक्त के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश की दशा में, जो उस आदेश से भिन्न है जिसे धारा 263 लागू होती है, आयुक्त स्वप्रेरणा पर या पुनरीक्षण के लिए निर्धारिती द्वारा आवेदन पर इस अधिनियम के अधीन किसी ऐसी कार्यवाही का अभिलेख मांग सकेगा जिसमें ऐसा कोई आदेश पारित किया गया है और ऐसी जांच कर सकेगा या ऐसी जांच करवा सकेगा और इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, निर्धारिती के प्रतिकूल आदेश न

होने वाला ऐसा आदेश उस पर पारित कर सकेगा जैसा वह ठीक समझता है ।

(2) आयुक्त स्वप्रेरणा पर इस धारा के अधीन किसी आदेश का पुनरीक्षण नहीं करेगा यदि वह आदेश एक वर्ष से अधिक पूर्व किया गया है ।

(3) निर्धारिती द्वारा इस धारा के अधीन पुनरीक्षण के लिए आवेदन करने की दशा में आवेदन, उस तारीख से, जिसको प्रश्नगत आदेश उनको संसूचित किया गया था या उस तारीख से, जिसको उसे अन्यथा उसका ज्ञान हुआ, इनमें से जो पूर्वतर हो, उससे एक वर्ष के भीतर करना होगा :

परन्तु यदि, आयुक्त का समाधान हो जाता है कि निर्धारिती उस कालावधि के भीतर आवेदन करने से पर्याप्त हेतुक से निवारित हो गया था तो वह उस कालावधि की समाप्ति के पश्चात् किया गया आवेदन ग्रहण कर सकेगा ।

(4) आयुक्त इस धारा के अधीन किसी आदेश का पुनरीक्षण निम्नलिखित दशाओं में नहीं करेगा—

(क) जहां उस आदेश के विरुद्ध अपील, उपायुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील) को या अपील अधिकरण को हो सकती है, किन्तु की नहीं गई है और वह समय जिसके भीतर ऐसी अपील की जा सकती है समाप्त नहीं हुआ है या उपायुक्त (अपील) अधिकरण को अपील की दशा में, निर्धारिती ने अपील के अपने अधिकार का अधित्यजन नहीं किया है; अथवा

(ख) जहां आदेश, उपायुक्त (अपील) के समक्ष अपील में लम्बित है; या

(ग) जहां आदेश उपायुक्त (अपील) को या] अपील अधिकरण को की गई अपील का विषय बनाया गया है ।

(5) इस धारा के अधीन पुनरीक्षण के लिए निर्धारिती द्वारा किए गए हर आवेदन के साथ पांच सौ रुपए की फीस होगी ।

(6) 1 अक्तूबर, 1998 को या उसके पश्चात् इस उपधारा के अधीन निर्धारिती द्वारा किए गए पुनरीक्षण के लिए प्रत्येक आवेदन पर उस वित्तीय वर्ष की, जिसमें निर्धारिती द्वारा पुनरीक्षण के लिए ऐसा आवेदन किया जाता है, समाप्ति के एक वर्ष के भीतर आदेश पारित किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए परिसीमा की अवधि की संगणना करने में, धारा 129 के परंतुक के अधीन निर्धारिती को पुन: सुने जाने का अवसर दिए जाने में लिए गए समय और उस अवधि को, जिसके दौरान इस धारा के अधीन कोई कार्यवाही किसी न्यायालय के आदेश या व्यादेश द्वारा रोक दी जाती है, अपवर्जित कर दिया जाएगा ।

(7) उपधारा (6) में किसी बात के होते हुए, उपधारा (6) के अधीन पुनरीक्षण में आदेश, अपील अधिकरण, राष्ट्रीय कर अधिकरण, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के किसी आदेश में अंतर्विष्ट किसी निष्कर्ष या निदेश के परिणामस्वरूप या उसे प्रभावी करने के लिए किसी भी समय पारित किया जा सकेगा ।

स्पष्टीकरण 1—आयुक्त का वह आदेश जिसमें हस्तक्षेप करने से इन्कार किया गया है इस धारा के प्रयोजनों के लिए ऐसा नहीं समझा जाएगा जो निर्धारिती पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है ।

स्पष्टीकरण 2—इस धारा के प्रयोजनों के लिए [@][उपायुक्त (अपील)] को आयुक्त या अधीनस्थ प्राधिकारी समझा जाएगा ।

* * * * * *

274. (1) * * * * * प्रक्रिया।

(2क) केंद्रीय सरकार, इस अध्याय के अधीन शास्ति अधिरोपित करने के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा स्कीम बना सकेगी, जिससे निम्नलिखित द्वारा बेहतर दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही लाई जा सके––

(क) तकनीकी रूप से संभाव्यता की सीमा तक कार्यवाहियों के अनुक्रम में निर्धारण अधिकारी और निर्धारिती के बीच अंतरापृ-ठ को दूर करके ;

* * * * * *

प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 (2020 का अधिनियम संख्यांक 3) से उद्धरण

* * * * * *

घोषणाकर्ता द्वारा संदेय रकम।

3. इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां कोई घोषणाकर्ता, इस अधिनियम के अधीन अन्तिम तारीख को या उससे पूर्व अभिहित प्राधिकारी के पास धारा 4 के उपबंधों के अनुसार कर बकाया के संबंध में कोई घोषणा फाइल करता है, वहां आय-कर अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, घोषणाकर्ता द्वारा इस अधिनियम के अधीन संदेय रकम निम्नानुसार होगी, अर्थात् :––

क्र०सं०	कर बकाया की प्रकृति	31 मार्च, 2020 को या उससे पहले इस अधिनियम के अधीन संदेय रकम	1 अप्रैल, 2020 को या उसके पश्चात्, किंतु अंतिम तारीख को या उससे पहले इस अधिनियम के अधीन संदेय रकम

* * * * * *

वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 23) से उद्धरण

पदाभिहित समिति द्वारा विवरण का जारी किया जाना।

127. (1) जहां घोख़णाकर्ता द्वारा संदेय की जाने वाली प्राक्कलित रकम जो पदाभिहित समिति द्वारा प्राक्कलित है, घोख़णाकर्ता द्वारा घोख़ित रकम के बराबर है, वहां पदाभिहित समिति उक्त घोख़णा की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के भीतर घोख़णाकर्ता द्वारा संदेय रकम को उपदर्शित करने वाली विवरणी इलैक्ट्रानिक प्ररूप में जारी करेगी।

(2) जहां घोख़णाकर्ता द्वारा संदेय की जाने वाली प्राक्कलित रकम जो पदाभिहित समिति द्वारा प्राक्कलित है घोख़णाकर्ता द्वार, घोख़ित रकम से अधिक है, वहां पदाभिहित समिति घोख़णा की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर घोख़णाकर्ता द्वारा संदेय रकम का प्राक्कलन इलैक्ट्रानिक प्ररूप में जारी करेगी।

* * * * * *

(4) घोख़णाकर्ता को सुनने के पश्चात् इलैक्ट्रानिक रूप में विवरण, जिसमें घोख़णाकर्ता द्वारा संदेय रकम उपदर्शित हो, घोख़णा की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर जारी की जाएगी।

(5) घोख़णाकर्ता, ऐसी विवरणी को जारी किए जाने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर पदाभिहित समिति द्वारा जारी विवरण में यथा उपदर्शित संदेय रकम का इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से इलैक्ट्रानिक रूप से संदाय करेगा।

* * * * * *

4371 AM

वित्त अधिनियम, 2020 (2020 का अधिनियम संख्यांक 12) से उद्धरण

*   *   *   *   *   *

परिभाषाएं ।

2. (1)   *   *   *   *   *

(6) उन दशाओं में, जिनमें कर, आय-कर अधिनियम की धारा 192क, धारा 194, धारा 194ग, धारा 194घक, धारा 194ङ, धारा 194ङ ङ, धारा 194च, धारा 194छ, धारा 194ज, धारा 194झ, धारा 194झक, धारा 194झख, धारा 194झग, धारा 194ञ, धारा 194ठक, धारा 194ठख, धारा 194ठखक, धारा 194ठखख, धारा 194ठखग, धारा 194ठग, धारा 194ठघ, धारा 194ड, धारा 194ढ, धारा 194ण, धारा 196क, धारा 196ख, धारा 196ग और धारा 196घ के अधीन काटा जाना है, कटौतियां उन धाराओं में विनिर्दिष्ट दरों से की जाएगी और उसमें,

(क) प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो अनिवासी है,

*   *   *   *   *   *

(9) उपधारा (10) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उन दशाओं में, जिनमें आय-कर, प्रवृत्त दर या दरों से, आय-कर अधिनियम की धारा 172 की उपधारा (4) या धारा 174 की उपधारा (2) या धारा 174क या धारा 175 या धारा 176 की उपधारा (2) के अधीन प्रभारित किया जाना है या उक्त अधिनियम की धारा 192 के अधीन "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय में से काटा जाना है, या उस पर संदत्त किया जाना है अथवा उक्त अधिनियम के अध्याय 17ग के अधीन संदेय "अग्रिम कर" की संगणना की जानी है, यथास्थिति, ऐसा आय-कर या "अग्रिम कर" पहली अनुसूची के भाग 3 में विनिर्दिष्ट दर या दरों से इस प्रकार प्रभारित किया जाएगा, काटा जाएगा या संगणित किया जाएगा और ऐसे कर में, प्रत्येक दशा में, उसमें उपबंधित रीति से, परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

*   *   *   *   *   *

परंतु यह भी कि आय-कर अधिनियम की धारा 115क, धारा 115कख, धारा 115कग, धारा 115कगक, धारा 115कघ, धारा 115ख, धारा 115खक, धारा 115खख, धारा 115खखक, धारा 115खखग, धारा 115खखघ, धारा 115खखघक, धारा 115खखच, धारा 115खखछ, धारा 115ङ, धारा 115जख और धारा 115जग के अधीन कर से प्रभार्य किसी आय के संबंध में पहले परंतुक के अधीन संगणित "अग्रिम कर" में,—

*   *   *   *   *   *

(कक) ऐसे व्यष्टि या प्रत्येक व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ के अधीन आय है,—

*   *   *   *   *   *

(iii) जहां कुल आय (आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय को छोड़कर) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे "अग्रिम कर" के पच्चीस प्रतिशत की दर से ;

(iv) जहां कुल आय (आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय को छोड़कर) पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे "अग्रिम कर" के सैंतीस प्रतिशत की दर से ;

(v) जहां कुल आय (आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय सम्मिलित) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु जो उपखंड (iii) और उपखंड (iv) के अधीन नहीं आती है, ऐसे "अग्रिम कर" के पन्द्रह प्रतिशत की दर से, परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु उस दशा में, जहां कुल आय में, आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन प्रभार्य कोई आय सम्मिलित है, आय के उस भाग के संबंध में संगणित अग्रिम कर की रकम पर अधिभार की दर पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी :

* * * * * *

धारा 11 का संशोधन ।

9. आय-कर अधिनियम की धारा 11 में-

(I) उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 2 में, "धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी अन्य न्यास या संस्था, इस विनिर्दिष्ट निदेश के साथ कि वे न्यास या संस्था की समग्र निधि का भाग बनेंगे, के पास स्पष्टीकरण 1 के साथ पठित खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट आय में से जमा की गई या संदत्त किसी रकम को, जो ऐसा अभिदाय है," शब्दों, अंकों, अक्षरों और कोष्ठकों के स्थान पर, "धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (viक) में निर्दिष्ट किसी निधि या न्यास या संस्था या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था या धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी अन्य न्यास या संस्था, इस विनिर्दिष्ट निदेश के साथ कि वह समग्र निधि का भाग बनेगा, के पास स्पष्टीकरण 1 के साथ पठित खंड (क) या उपखंड (ख) में निर्दिष्ट आय में से जमा की गई या संदत्त किसी रकम को, जो ऐसा अभिदाय है," शब्द, अंक कोष्ठक और अक्षर रखें जाएंगे।

(II) उपखंड (7) में, 1 जून, 2020 से,—

(क) "धारा 12कक की उपधारा (1) के, खंड (ख) के अधीन" शब्दों, अंकों, अक्षरों और कोष्ठकों के स्थान पर, "धारा 12कक या धारा 12कख के अधीन" शब्द अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ख) "खंड (1) और खंड (23घ)" शब्दों, कोष्ठकों, अंकों और अक्षर के स्थान पर "खंड (1), खंड (23ग) और खंड (46) " शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जांएगे;

(ग) निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"परंतु ऐसा रजिस्ट्रीककरण, उस तारीख से, जिसको न्यास या संस्था यथास्थिति धारा 10 के खंड (23ग) के अधीन अनुमोदन किया जाता है या उक्त धारा के खंड (46) के अधीन अधिसूचित किया जाता है या उस तारीख से जिसको यह परंतुक प्रवृत्त होता है, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो, प्रवर्तित नहीं रहेगा:

परंतु यह और है कि ऐसा न्यास या ऐसी संस्था जिसका रजिस्ट्रीकरण पहले परंतुक के अधीन प्रर्वतनीय नहीं रहा है, इस शर्त के अधीन रहते हुए कि ऐसा करने पर ऐसे न्यास या संस्था का यथास्तिथि धारा 10 खंड (23ग) के अधीन अनुमोदन या उक्त धारा के खंड (46) के अधीन अधिसूचना उस तारीख से प्रभावहीन हो जाएगी जिसको उक्त रजिस्ट्रीकरण प्रवर्तित हुआ है और तत्पश्चात् वह संबंधित खंड के अधीन छूट का हकदार नहीं होगा। धारा 12कख के अधीन अपने रजिस्ट्रीकरण को प्रवर्तित कराने के लिए आवेदन कर सकेगा ।

* * * * * *

MGIPMRND—437LS (CRC)—11.09.2020.